बुधवार,
५ मई, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

विषय-सूची

अंक ३—२४ अप्रैल से २१ मई १९५४

पृष्ठ भाग

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २८८३–२९२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९२४–२९२८

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९२९–२९६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९६६–२९७२

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९७३–३०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०१८–३०२४

सोमवार, ३ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०२५–३०६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०६४–३०६८

मंगलवार, ४ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०६९–३११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३११५–३१२२

पृष्ठ भाग

बुधवार, ५ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१२३–३१७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३१७३–३१८२

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१८३–३२१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२१९–३२२२

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२२३–३२६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२६८–३२८०

सोमवार, १० मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२८१–३३२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३२४–३३४०

मंगलवार, ११ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३४१–३३८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३८६–३३९८

	पृष्ठ भाग
बुधवार, १२ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३३९९–३४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३४४६–३४७०
बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३४७१–३५१७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३५१७–३५४२
शुक्रवार, १४ मई, १९५४	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३५४३
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या २४९१ से २४९५, २४९७ से २५०८, २५१० से २५११ और २५१३ से २५२१	३५४३–३५९२
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १३	३५९२–३५९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या २४९६ से २५१२ और २५२२ से २५२६	३५९७–३६०१
अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ से ५८९, ५९१ और ५९२	३६०१–३६१०
बुधवार, १९ मई, १९५४	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३६११
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १४	३६११–३६१४
शुक्रवार, २१ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १५ से १७	३६१५–३६२४

लोक सभा

बुधवार, ५ मई, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बंबई दुग्ध संयंत्र

*२२३८. **श्री दाभी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा आनंद, जिला कैरा में एक दुग्ध संयंत्र और मलाई उतारा हुआ दूध तय्यार करने के लिए एक सुखाने वाला संयंत्र और बंबई के उपनगर और में एक शीत-संग्राहक-संयंत्र बनाने के लिए बंबई सरकार को दी गई २,२५,००० डालर की राशि अनुदान के रूप में मानी जाएगी या ऋण के रूप में ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): आवंटन अनुदान के रूप में होगा, ऋण के रूप में नहीं।

श्री दाभी : क्या इस अनुदान की कुछ शर्तें भी हैं, और यदि हैं, तो वे क्या हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : कोई विशेष कड़ी शर्त नहीं है, पर बंबई सरकार संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिकेफ) की सामग्री की भारत में आकर पड़ने वाली लागत के डेढ़गुने मूल्य का दूध पांच वर्षों में वितरित करने को तैयार हो गई है और उनके कुछ निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए भी वह प्रस्तुत है। आप कुछ समय दें, तो मैं वह पढ़ दूं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा है उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाए।

श्री दाभी : क्या यह सच नहीं है कि बच्चों और भावी माताओं को मुफ्त दूध दिया जाएगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : अभी यह कार्य सं० रा० बाल आपात निधि कर रही है। बंबई सरकार आद्य प्राथमिकता वर्ग में आने वाली भावी माताओं और बच्चों को मुफ्त दूध देने का काम अपने हाथ में लेगी।

श्री दाभी : इनके कब तक अधिष्ठापित होने की संभावना है?

श्रीमती चन्द्रशेखर : ये संयंत्र दो स्थानों पर लगाए जाएंगे। एक तो आनंद में लगेगा और अक्टूबर १९५५ में शुरू हो

जाएगा, दूसरा बंबई में मई, १९५५ में शुरू होगा। वितरण-व्यवस्था को बंबई में मई, १९५५ में अंतिम रूप दे दिया जाएगा और आनंद में दिसम्बर, १९५५ में और वितरण एक मास बाद आरम्भ होगा।

श्री दाभी : आनंद स्थित दूध सुखाने वाले संयंत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : आनंद के लिए यह १,५०,००० डालर है और बंबई के लिए ७५,००० डालर।

डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र

*२२३९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चार और डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के प्रस्ताव में क्या प्रगति हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) स्थान प्राप्त करने में कठिनाई के कारण इस प्रस्ताव में कोई प्रगति नहीं हुई है।

श्री एस० सी० सामन्त : १९५३-५४ की रिपोर्ट में बताया गया है कि केन्द्रों के अधिवासित करने के लिए उपयुक्त स्थान की कमी के कारण विचार पूरा नहीं हो रहा है। क्या अब स्थान उपलब्ध हैं ?

श्री राज बहादुर : यही मेरा उत्तर है अधिवास प्राप्त करने में हमें कठिनाई हो रही है और हम स्थान चुनने और अधिवास प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : मेरी समझ से स्थानों का अंतिम चुनाव हो चुका है।

श्री राज बहादुर : मुझे पूरे विवरण बताने होंगे। मद्रास में हमें अभी तक स्थान नहीं मिला है। अवदी श्रम शिविर का प्रस्ताव रखा गया था, पर हमें बताए गए दामों में बड़ा अंतर था, अर्थात् मलाया सरकार द्वारा बताए गए दाम ३० लाख रुपए थे, जब कि मद्रास सरकार ने ८ लाख रुपए लगाए थे, अतः हमने उसे नहीं लिया। हैदराबाद में हमने एक स्थान चुना है, पर वित्तीय स्वीकृति अभी नहीं मिली है। जहां तक बंबई का संबंध है, हम बड़ोदा नरेश के भवन का अधिग्रहण करना चाहते हैं, पर किराया निश्चित नहीं किया जा सका है और उस भवन की उपयुक्तता भी अभी विचाराधीन है कि यह उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। उसी प्रकार बिहार में भी हजारीबाग में एक स्थान बिहार सरकार द्वारा चुना गया था, पर वह उपयुक्त न निकला और अब हम सैन्य शिविर मैदान को अधिग्रहण करने का विचार कर रहे हैं, जो अब रक्षा विभाग की आवश्यकता से अधिक हो गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या केवल डाक क्लर्कों को प्रशिक्षण दिया जाता है और क्या केवल विज्ञान का ज्ञान रखने वाले क्लर्कों को ही प्राविधिक विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : चाहे वे कला के विद्यार्थी हों या विज्ञान के, वह सब उस सेवा पर निर्भर है जिस की प्रतियोगिता में वे भाग लेते हैं, और उस सेवा पर जिसके लिए वे अंत में चुने जाते हैं।

श्री बंसल : इन केन्द्रों के खोले जाने के संबंध में इन भवनों में क्या विशेष बात होनी चाहिए और क्या सरकार का

ध्यान देश के सुन्दर पहाडी स्थानों म उपलब्ध बहुत से बड़े बड़े भवनों की ओर आकर्षित किया गया है ?

श्री राज बहादुर : हम ऐसे केन्द्र चुनना चाहते हैं, जो क्षेत्र विशेष में विभिन्न स्थानों से यथासंभव बराबर दूरी पर हों । हमने देश को पांच क्षेत्रों म बांटा है । अतः हमारे लिए पहाड़ी स्थान उतने उपयुक्त सिद्ध न होंगे । वे क्षेत्र विशेष के कोने में हो सकते हैं ।

गन्ने की उत्पादन लागत

*२२४०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार गन्ने की उत्पादन लागत का निश्चय करने के लिए एक जांच बैठाना चाहती है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कब ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) हां ।

(ख) गन्ने की इस फसल के बारे में जो बोई जा चुकी है, यह जांच इसी महीने शुरू हो जाएगी ।

श्री विभूति मिश्र : इस के कौन कौन से सदस्य होंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : सदस्यों का इस से मतलब नहीं है, इस में तो काम करने वाले होंगे जो कि इस की जानकारी रखते हैं, और फिलहाल जो स्टाफ डेवेलपमेन्ट आफ शुगरकेन के लिये है, उस से काम लिया जायेगा। साथ ही और लोग भी मुकर्रर होंगे ।

श्री विभूति मिश्र : क्या ग्रोअर्स के रिप्रेजेन्टेटिव भी जांच समिति में रहेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह कोई एन्क्वायरी कमेटी नहीं है । इस में तो सिर्फ साइन्टिफिक जांच करनी है और यह स्कीम है कि सब काश्तकारों के खेतों पर इसे किया जाय । म समझता हूं कि उन से ही सब कुछ मालूम किया जा सकता है और वही लोग जो कुछ खर्च करते हैं बतलावेंगे ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि चीनी की उत्पादन लागत को प्रमाणित करने वाले तत्वों कच्चे माल, श्रम अवक्षयण आदि की लागत का प्रतिशतक क्या है ?

डा० पी० एस० दशमुख : गन्ने की खेती की लागत का पता लगाने के लिए सभी संगत बातों पर विचार किया जाएगा इसका संबन्ध चीनी से नहीं है ।

श्री शिवनंजप्पा : क्या गन्ना उत्पादकों का कोई प्रतिनिधि समिति में काम कर रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जांच ही गन्ना समिति द्वारा कराई गई है, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि हैं।

पोत निर्माण

*२२४२. **श्री० रघुनाथ सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना पोतनिर्माण के लिए रखी गई १९.४५ करोड़ रुपयों की राशि में से अब तक कितना धन खर्च किया गया है और पोत निर्माणकरने वाली कंपनियों को कितना धन ऋण के रूप में दिया गया है ?

परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखियें परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३७]

श्री रघनाथ सिंह : क्या म जान सकता कि पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत १९ करोड़ रुपए में से हिन्दुस्तान के पोत निर्माण के वास्ते सिर्फ ७ करोड़ रुपए क्यों खर्च किए गए ? यानी तना कम खर्च क्यों किया गया ?

श्री अलगेशन : बताए गए ऋणों से लाभ उठाना पोत-निर्मात्री कंपनियों का काम है प्रस्तुत योजना के पहले दो वर्षों तक वे हमारे पास ऋण लेने के लिए आने में ढील डालती रहीं, पर अब वे अपने प्रस्तावों को हमारे सामने रख रही हैं इस संबंध में व्यय होने वाली राशि १९·४५ करोड़ नहीं हैं, बल्कि बढ़ा कर २४ करोड़ रुपए कर दी गई है और बहुत संभव है कि योजना का काल पूरा होने से पहले ही लक्ष्य पूरा हो जाएगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : फाइव इयर प्लैन के अन्दर हिन्दुस्तान में शिप बिल्डिंग का टनैज क्या होगा, यानी टी० डब्ल्यू० टी० क्या होगा ?

श्री अलगेशन : पंच वर्षीय योजना की समाप्ति पर ६ लाख टन भार-क्षमता पूरी हो जाएगी । इस काल में हमने २,७५,००० टनों के अधिग्रहण की योजना बनाई है, जिसमें ६०,००० टन पुराने जहाजों के स्थान में चला जाएगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : पोत निर्माण उद्योग के लिए पंचवर्षीय योजना में अब उपलब्ध किए गए नियतन की दृष्टि में मैं जानना चाहता हूं कि अब कम्पनियों या पोत निर्माण कारखानों में लगे हुए श्रमिक पूरे वर्ष बेकार न रहेंगे ?

श्री अलगेशन : मैं ने प्रश्न नहीं समझा ।

अध्यक्ष महोदय : बात क्या है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : बात यह है कि विशाखापटनम् तथा अन्य स्थानों में पोत निर्मात्री कंपनियों में काम करने वाले श्रमिक वर्ग कई महीने बेकार रहते हैं, क्या वे अब बेकार न रहेंगे ?

श्री अलगेशन : जहां तक विशाखा-पटनम् के निर्माणों का सम्बन्ध है, वहां पर दिए जाने वाले आर्डरों के लिये लगभग ४·५ करोड़ रुपए अनुदान देने का प्रस्ताव किया गया है । अब संभव है कि यह बढ़कर ५·७३ करोड़ रुपए हो जाए ।

अध्यक्ष महोदय : उनका मतलब राशि से नहीं बल्कि यही है कि क्या कार्य निरन्तर चालू रहेगा ?

श्री अलगेशन : पांच-छः जहाजों के लिए आर्डर मिलने की सम्भावना है । इस से कार्य निरन्तर चालू रह सकेगा ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय क्या पूरी राशि कम्पनी को ऋण के रूप में दी जायगी या यह किसी अन्य रूप में व्यय की जायगी ?

श्री अलगेशन : इसमें बहुत सी मदें आती हैं । मेरे द्वारा सदन पटल पर रखे गए विवरण को पढ़ने से उनको सूचना प्राप्त हो जाएगी ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : फरवरी के 'इंडियन शिपिंग' से पता चलता है कि परिवहन सचिव ने एक प्रेस सम्मेलन में बताया था कि देश की टन-भार-क्षमता को बढ़ाने के लिए ३५ करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे । यह पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटित राशि से बहुत अधिक

है क्या हम जान सकते हैं कि क्या वस्तुत: ३५ करोड़ रुपए पोत निर्माण पर व्यय किए जाएंगे ?

श्री अलगेशन : मेरी समझ में माननीय सदस्य ने यह बात किसी अन्य सम्बन्ध में छेड़ी थी और मैंने उन्हें बताया था कि राशि २४ करोड़ रुपए है ३५ करोड़ नहीं।

मैसूर में चीनी कारखाने

*२२४४. **श्री शिवनंजप्पा**: क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मंड्या मैसूर शूगर फैक्ट्री लिमिटेड तथा होसपेट (बैलारी) की चीनी मिल ने गत तीन वर्ष गन्ना उत्पादकों को प्रति टन कितना मूल्य दिया ;

(ख) उपरोक्त दोनों कारखानों के गन्ना उत्पादन करने वालों के लिए सन् १९५४-५५ वर्ष के लिए कितना मूल्य निरर्धारित किया गया है ।

(ग) क्या मैसूर शूगर फैक्टरी लिमिटेड मंड्या को दिए जाने वाले गन्ने पर 'सिसमा' सूत्र लागू होता है ; और

(घ) मैसूर शूगर फैक्टरी लिमिटेड, मंड्या को गत तीन वर्षों में दिए गये गन्ने में चीनी की मिकदार क्या थी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) से (घ): अपेक्षित सूचना दर्शाते हुए एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [देखिए परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३८]

श्री शिवनंजप्पा : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में कहा गया हैं कि 'सिसमा' सूत्र अभी मंड्या शूगर फैक्टरी पर लागू नहीं होता। जब भी यह सूत्र अन्यों पर लागू है तो क्या मैं जान सकता हूं कि मंड्या उत्पादकों को इससे क्यों वंचित रक्खा गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इसका कारण यह है कि 'सिसमा' सूत्र केवल गत वर्ष ही निकला था और गत वर्ष मंड्या में पानी की कमी के कारण गन्ना-पिराई नहीं हुई थी । इस वष यह जून या जुलाई में प्रारम्भ की जाएगी और सात-आठ मास तक रहेगी। इस वर्ष मैसूर सरकार ने 'सिसमा' सूत्र का अनुसरण करने की सहमति प्रकट की है ।

श्री शिवनंजप्पा : इस बात की दृष्टि में कि मंड्या फैक्टरी में देश के अन्य कारखानों की तुलना में गन्ने से सबसे अधिक चीनी की मिकदार प्राप्त होती है, क्या मैं जान सकता हूं कि 'सिसमा' सूत्र लागू होने पर मंड्या के गन्ना-उत्पादकों को कितनी अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : पेरे गये प्रति मन गन्ने पर १ रु० ७ आ० के हिसाब से, मंड्या के गन्ना उत्पादकों को न्यूनतम ४० रु० प्रति टन का मूल्य तो मिलेगा ही । इस के अतिरिक्त फैक्टरियों को दिए गये गन्ने पर उन्हें ७ से ९ रु० तक और मिल सकते हैं क्योंकि मंड्या फैक्टरी उन कारखानों में ह जहां कि सबसे अधिक मिकदार म चीनी प्राप्त होती है ।

श्री बासप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि होसपेट के गन्ना-मिल मालिकों तथा गन्ना-उत्पादकों के बीच कोई झगड़ा था और क्या सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया था और कहा था कि 'सिसमा' सूत्र लागू होना चाहिए, और सरकार की इस

कार्यवाही का क्या कोई अलनुकू परि ाम निकला ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां । पांच मास पूर्व उनमें झगड़ा था क्योंकि होसपेट शुगर फक्टरी ही केवल ऐसा कारखाना था जहां 'सिसमा' सूत्र लागू नहीं था । प्रारम्भ में उन में कोई समझौता नहीं हुआ। इसलिए गन्ना-उत्पादकों ने गन्ना देने से इनकार कर दिया । हमें हस्तक्षेप करना पड़ा और 'सिसमा' सूत्र के अनुसार भुगतान कर दिया गया, जिस से कि ११ रु० ९ आ० अतिरिक्त मिल जाते हैं ।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

*२२४५. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) लोक-लेखा समिति के पांचवे प्रतिवेदन के पैरा १४ की निम्नलिखित सिफारिश के सम्बन्ध में क्या सरकार न कोई पग उठाया है :

(१) सम्बन्धित रेलवे पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ; और

(२) ठेकेदा ों से हानि-पूर्ति ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लोक-लेखा समिति न इस प्रकार की कोई शिफारिशें नहीं की हैं ।]

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मैं मंत्री जी का ध्यान लोक-लेखा समिति के पृष्ठ ९ में पैरा १४ की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें कहा गया है कि "रेलवे प्रशासन ने गलती की तथा संविदे म निहित जोखिम-खंड का सहारा न लेने का तथा ठेकेदारों से हानि पूरी न करने का कोई न्यायोचित कारण नहीं था।" क्या मैं जान सकता हूं कि यह हानि बट्टे-खाते में डाल दी गयी है अथवा इसकी वसूली के लिए कोई पग उठाए गये हैं ?

श्री अलगेशन : यह सच है कि इन ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली ईंटों का समय आवश्य बढ़ाया गया था, किन्तु दोनों बार जो समय बढ़ाया गया था वह वैध आधार पर बढ़ाया गया था । इसमें सन्देह नहीं कि रेलवे को २४ हजार से कुछ अधिक की हानि हुई जिसमें से अब तक तीन हजार रुपए ठेकेदारों द्वारा जमा किए गये रुपए की जब्ती करके वसूल कर लिये गये हैं लगभग २१ हजार रुपए की हानि हुई है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस हानि को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की जाएगी ?

श्री अलगेशन : हम इसे पूरा नहीं कर सकेंगे ।

श्री टी० एन० सिंह : जो कुछ अभी कहा गया है उसके अनुसार हानि का कारण अधिकारियों द्वारा दी गयी समय वृद्धि है । यदि इस हानि को पूरा करने के लिए नहीं तो कम से कम इसके लिए जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार ने क्या पग उठाया है ?

श्री अलगेशन : जब समयावधि में वृद्धि की जाती है तो सामान्यतः एक प्रमाणपत्र भरा जाता है जिस में कहा जाता है कि माल के देर से देने के कारण कोई हानि नहीं होने दी जाएगी। यह बात इस मामले में नहीं की गई थी । इसलिए

रेलवे बोर्ड ने रेलवे प्रशासनों को निदेश दे दिए हैं कि समय वृद्धि वाले ऐसे सब मामलों में सम्बन्धित प्राधिकार द्वारा उक्त प्रमाणपत्र सम्बन्धी कार्यवाही पूरी की जाए। किसी अधिकारी से हानि पूरी करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह समय वृद्धि वैध कारणों से दी गई थी और इसलिए यह जोखिम खंड भरना आवश्यक नहीं समझा गया था।

श्री जो० पी० सिन्हा : माल मिलने से पूर्व ठेकेदार को कितनी राशि पेशगी दी गई थी ?

श्री अलगेशन : मुझे नहीं मालूम।

चीनी का आयात

*२२४६. **श्री एन० राचय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५४ की प्रथम तिमाही में चेकोस्लोवाकिया से कुल कितनी चीनी आयात की गई ;

(ख) क्या आर्डर की गई मात्रा आ चुकी है ;

(ग) क्या यह सच है कि सारी खेप बम्बई के लिए निर्धारित की गई थी; और

(घ) कुल कितना व्यय हुआ ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) ३०,९७८ टन

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) लगभग १,४८,१७,६०० रु०

श्री एन० राचय्या : देशी चीनी की तुलना में उस चीनी का प्रति टन मूल्य क्या था ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह चीनी देशी चीनी से बहुत सस्ती है।

श्री विश्वनाथ राय : यह कच्ची चीनी है अथवा परिष्कृत ?

डा० पी० एस० देशमुख : परिष्कृत।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इसका वितरण किस प्रकार किया गया ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सूचना मेरे पास मौजूद नहीं है। यह फरवरी तथा मार्च में बम्बई और मद्रास में आई थी और हमने सामान्यत: इसे राज्यों की आवश्यकता के अनुसार आवंटित कर दिया। उन्हें इसे बराबर मूल्य पर बेचना है।

श्री के० सी० सोधिया : इसके विक्रय से सरकार को कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह आगणित करना कठिन है। यदि हम शुल्क न लगाएं तो काफी लाभ हो सकता है। किन्तु यदि हमें पूरा शुल्क अदा करना है तो लाभ अधिक नहीं होगा।

हावड़े का माल गोदाम

*२२४७. **श्री भागवत झा आजाद** : (क) क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि हावड़े के माल-गोदाम के सबसे ऊपर के खन को माल प्राप्त करने वालों द्वारा युद्ध से पूर्व किराए के गोदाम के रूप में प्रयुक्त किया जाता था ?

(ख) क्या यह सच है कि इस समय यह खाली पड़ा हुआ है ;

(ग) क्या व्यापारियों ने गोदाम के रूप में प्रयुक्त करने के लिए शैडों की मांग की है ?

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) युद्ध से पूर्व हावड़े के मालगोदाम के सबसे ऊपर के खन का केवल एक भाग ही माल प्राप्त करने वालों द्वारा किराए के गोदाम के रूप में प्रयुक्त किया जाता था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस समय इस सम्बन्ध में कोई चीज़ विचाराधीन नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : युद्ध से पूर्व व्यापारियों को दी जाने वाली सुविधाओं की तुलना में, क्या सरकार को विदित है कि इस समय उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं अपर्याप्त हैं ?

श्री शाहनवाज खां : जो सुविधाएं मौजूद हैं हम वह पूरे तौर से दे रहे हैं। हम पूर्णतया अनुभव करते हैं कि ये सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं और रेलवे प्रशासन उन में सुधार करने के लिए कदम उठा रहा है। यह एक कहीं वृहत्तर कार्यक्रम का अंग है।

श्री भागवत झा आजाद : इन के भाग (ख) के उत्तर में कहा गया कि वहां कोई रिक्त स्थान नहीं है। क्या यह सच है कि उस जगह का एक बड़ा भाग अब भी खाली है तथा महज़ यह दिखाने के लिए कि वहां जगह नहीं है, बहुत सी बेकार चीज़ें वहां रखी हुई हैं ?

श्री शाहनवाज खां : मैं समझता हूं कि यह अपने मत की बात है। माननीय सदस्य को जो चीज़ें बेकार दिखाई देती हैं वे रेलवे के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक हो सकती हैं।

एशियाई सामुद्रिक सम्मेलन

*२२४८. **श्री संगण्णा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा नुवारा इलिया में अक्टूबर, १९५३ में बुलाए गए प्रथम एशियाई सामुद्रिक सम्मेलन के नाविकों के पंजीयन तथा नियोजन विषयक सिफारिशों को कार्यान्वित किया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री अलगशन) : (क) तथा (ख). बम्बई में एक संविहित नाविक नियोजन कार्यालय खोलने की योजना बनाई गई है और आशा की जाती है कि अगले कुछ सप्ताहों में कार्यान्वित की जाएगी। कलकत्ते में इस प्रकार का कार्यालय खोलने के लिए प्रारंभिक काम हाथ में ले लिया गया है ।

श्री संगण्णा : क्या नाविकों के नियोजन तथा पंजीयन के लिए कोई त्रिदलीय अभिकरण स्थापित किया गया है ?

श्री अलगेशन : इस समय जिस अभिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है वह एक सरकारी अभिकरण है किन्तु हम एक त्रिदलीय सलाहकार बोर्ड स्थापित करेंगे जिसमें सरकार, जहाज-मालिक तथा नाविकों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा । यह बोर्ड केवल नीति के सम्बन्ध में ही नहीं किन्तु प्रक्रिया के बारे में भी सलाह देगा ।

श्री संगण्णा : क्या यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक सिफारिश

के अनुसार त्रिदलीय अभिकरण में नाविकों को प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है ?

श्री अलगेशन: नुवारा इलिया में अथवा श्रीलंका में कहीं अन्यत्र जो सम्मेलन अभी अभी हुआ था उसने इस व्यवस्था की रचना के विभिन्न सुझाव दिये थे। हम सरकारी तौर पर जिस व्यवस्था की रचना कर रहे हैं वह विद्यमान स्थिति में अधिक समयोचित मानी जाती है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: क्या नाविकों के कार्मिक संघ पंजीयन तथा नियोजन के काम में सहयोग दे रहे हैं; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अलगेशन: आशा की जाती है कि उनका संपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

रेल दुर्घटना

*२२४९. **श्री राम दास**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १४ मार्च, १९५४ को लोहारू तथा रेवाड़ी के बीच सतनाली रेलवे स्टेशन के निकट कोई रेलवे दुर्घटना हुई थी; तथा

(ख) १९५३ तथा १९५४ में इस लाइन पर अब तक हुई दुर्घटनाओं की तारीखें ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री ाहनवाज खां): (क) हां। १४-३-१९५४ को लगभग ८ बज कर २० मिनट पर जब कि उत्तर रेलवे के लोहारू-रेवाड़ी मुख्य मार्ग विभाग में लोहारू तथा रेवाड़ी के बीच नंबर बी० ३ की माल गाड़ी जा रही थी तब उसके १६ डिब्बे पटरी से उतर गये ।

(ख) २६ जनवरी, २२ अप्रैल, २६ जुलाई, १ तथा ३१ अगस्त, ३ सितंबर तथा २९ अक्टूबर, १९५३; २४ फरवरी तथा १४ मार्च, १९५४ ।

श्री राम दास: क्या मैं जान सकता हूं कि बार बार ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं और रेलवे कर्मचारी इनके लिए कहां तक जिम्मेवार हैं ?

श्री शाहनवाज खां: इस मार्ग पर जो दुर्घटनाएं हुई हैं वे मुख्यत: डिब्बों के पुर्जे टूटने के कारण हुई हैं। कभी एक्सिल टूट गया या कभी ड्राबैक टूट गया और इन बातों के लिए रेलवे कर्मचारियों को जिम्मेवार नहीं माना गया है ।

श्री राम दास: क्या इन पुर्जों की हालत के परीक्षण के लिए रेलवे कर्मचारी जिम्मेवार नहीं होते हैं ?

श्री शाहनवाज खां: मैं प्रश्न समझ नहीं पाया हूं ।

अध्यक्ष महोदय: मेरी राय में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इस मार्ग के इसी विभाग में पुर्जे क्यों टूटते हैं ।

श्री शाहनवाज खां: श्रीमान्, अधिकतर मार्गों पर टूट फूट तो होती ही रहती है। मैं सादर निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिदिन लाखों माल डिब्बे चलते रहते हैं और यह स्वाभाविक ही है कि कहीं न कहीं किसी के पुर्जे टूट जायं ।

श्री राम दास: क्या मैं यह समझूं कि आप के पास आवश्यकता से कम कर्मचारी हैं ?

श्री शाहनवाज खां: मैं प्रश्न समझ नहीं पाया हूं ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि क्या कर्मचारी वर्ग अपर्याप्त है ? क्या यही आपका प्रश्न है ?

श्री राम दास : जी हां ।

श्री शाहनवाज खां : शायद माननीय सदस्य ध्वनित करना चाहते हैं कि डिब्बों की देखभाल करने वाले संधारण कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है । यह बात नहीं है । वस्तुत: डिब्बों की देखभाल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी हैं और मध्यस्थ के निर्णय में भी इसका पूरा हवाला दिया गया है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि बार बार होने वाली इन दुर्घटनाओं की सारी समस्या की जांच करने के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी, क्या उसने काम शुरू कर दिया है और उसके प्रतिवेदन के कब तक दिये जाने की आशा है ?

श्री शाहनवाज खां : समिति अपना काम पूरा कर चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

श्री शाहनवाज खां : प्रतिवेदन माननीय मंत्री को दिया जा चुका है । आयव्ययक के समय भाषण करते हुए माननीय मंत्री ने कहा था कि ३० अप्रैल, १९५४ के पहले प्रतिवेदन दिया जाना चाहिये और ३० अप्रैल, १९५४ को ही प्रतिवेदन दिया गया ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या वह सदन पटल पर रखा जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ ।

तेजपुर कारखाना

*२२५०. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेजपुर के कारखाने का जो तेजपुर बालीपारा रेलवे कम्पनी से लिया गया था, क्या करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : उस स्थान पर रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर्स बनाये जायेंगे । मशीनें व पुर्जे आदि सुरक्षित रखे जा रहे हैं । यदि आवश्यकता होगी तो एक नये शिल्पिक स्कूल में प्रयोग के लिये वे आसाम सरकार को दे दिये जायेंगे ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि इस संबंध में बहुत पहिले निश्चय किया गया था, परन्तु अब तक कुछ नहीं किया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : यदि कुछ नहीं किया गया है तो यह रेलवे प्रशासन का दोष नहीं है क्योंकि मशीनों के क्रय का उत्तरदायित्व आसाम सरकार पर है । उनके हमारे पास आते ही हम वे मशीनें आदि उन्हें दे देंगे ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : इस तथ्य की दृष्टि से कि माननीय मंत्री ने स्कूल खोलने के लिए आसाम सरकार को मशीनें उपहार के रूप में देने का वचन दिया था, क्या यह कहना उचित है कि आसाम सरकार को ये मशीनें मोल लेनी पड़ेंगी ?

श्री शाहनवाज खां : आसाम सरकार को रेलवे मंत्रालय से निवेदन अवश्य करना चाहिये । उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है ।

श्री पी० सी० बोस : पहिले उस कारखाने में कितने कारीगर काम करते थे तथा उनका क्या हुआ ?

श्री शाहनवाज खां : इस प्रश्न के लिए मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): श्रीमान्, यह एक बहुत ही छोटा कारखाना है तथा कारीगरों की संख्या भी बहुत थोड़ी है।

श्री के० पी० त्रिपाठी: मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह उपहार है या आसाम सरकार को मशीनें मोल लेनी पड़ेंगी ?

अध्यक्ष महोदय: क्या यह उपहार है, तथा यदि हां तो क्रय करने का प्रश्न कैसे उत्पन्न हो गया है ? हो सकता है कि अभी तक आसाम सरकार ने स्कूल खोलने की योजना नहीं बनाई है।

श्री अलगेशन: हां, श्रीमान्। आज कल यही स्थिति है।

श्री के० पी० त्रिपाठी: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वास्तव में ही एक उपहार होगा या आसाम सरकार को इसके लिये भुगतान करना पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि यह उपहार है।

श्री अलगेशन: हम इसे उपहार रूप में देने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय: रेलवे मंत्रालय इसे उपहार रूप में देने को तैयार है परन्तु आसाम सरकार ने कारखाना खोलने के लिए योजनायें नहीं बनाई हैं।

श्री के० पी० त्रिपाठी: क्या यह सच है . . .

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। मैं अग्रेतर प्रश्न ले रहा हूं।

उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र में हवाई अड्डे

*२२५१. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या नागरिक उड्डयन विभाग का विचार उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों म हवाई अड्डे बनाने के लिए वहां का परिमाप करने का है; तथा

(ख) क्या सरकार का इन क्षत्रा स इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) हां। नागरिक उड्डयन विभाग तथा उत्तरपूर्वी सीमा अधिकरण प्रशासन का विचार क्रमशः लुशाई पहाड़ियों के क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी सीमा अधिकरण क्षेत्र का परिमाप करने का है

(ख) हां, श्रीमान्।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह: यह कार्य कब आरम्भ होगा ?

श्री राज बहादुर: वास्तव में, इसे यथा शीघ्र आरम्भ करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन तथा विश्व ऋतु विज्ञान संगठन

*२२५२. **श्री के० सी० सोधिया**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) १९५४ में अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन तथा विश्व ऋतु विज्ञान संगठनों को कितना वार्षिक अंशदान देना है ;

(ख) सदस्य देशों की कुल संख्या क्या है;

(ग) इन संगठनों के प्रधान कार्यालय कहां हैं;

(घ) क्या उनके केन्द्रीय कार्यालयों में कोई भारतीय भी काम कर रहा है तथा यदि हां, तो कितने; तथा

(ङ) यदि नहीं, तो वहां भारतीयों की नियुक्ति के लिये सरकार ने क्या पग उठा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) तक. एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३९]

(ङ) विश्व ऋतु विज्ञान संगठन के मामले में जिसमें आजकल कोई भारतीय नहीं है, सरकार उपयुक्त प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र उन शिल्पिक तथा प्रशासकीय पदों के लिए भेजती रही है जिनकी विज्ञापना इस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी । पदों पर अन्तर्राष्ट्रीय, प्रतियोगिता से नियुक्तियां होती हैं और अब तक कोई भी भारतीय नहीं चुना गया है ।

श्री के० सी० सोधिया : विवरण की मद (१) के प्रसंग में, क्या माननीय मंत्री अंशदान की मात्रा रुपयों में बतायेंगे ?

श्री राज बहादुर : यह समय समय पर विनिमय की चढ़ती व गिरती दर पर निर्भर है ।

श्री के० सी० सोधिया : लगभग धनराशि क्या है ?

श्री राजबहादुर : हम जानते हैं कि अमरीकी एक डालर लगभग पांच रुपये के बराबर होता है तथा कनाडा के डालर के विषय में मैं भी ठीक कुछ नहीं कह सकता ।

श्री के० सी० सोधिया : मद (क) के प्रसंग में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सर्वाधिकारवादी गुट के देश भी इस संगठन के सदस्य हैं ?

श्री राजबहादुर : उनमें से बहुत से हैं।

श्री के० सी० सोधिया : मद (४) के प्रसंग में, क्या वहां काम करने वाले भारतीयों की संख्या हमारे चन्दे के अनुकुल है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि उन्हों ने कहा था कि वहां कोई भारतीय काम नहीं करता है ।

श्री राजबहादुर : अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन में तीन भारतीय काम करते हैं, जबकि विश्व ऋतु विज्ञान संगठन में कोई भारतीय काम नहीं करता है । विदेश कार्य मंत्रालय का बनाया हुआ नियम यह है कि संस्था किसी विशेष संगठन को हमने जो कुल अंशदान देते हैं उस के प्रति शत से २५ प्रति शत से अधिक इधर उधर न हो । वास्तव में, कर्मचारी वर्ग में हमारा प्रतिनिधित्व इस से बहुत कम है ।

रेलवे लेखों का यन्त्रीकरण

* २२५३. **पंडित लिंगराज मिश्रा** : (क) रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे प्रशासन का विचार रेलवे लेखों का यन्त्रीकरण करने का है ?

(ख) यदि हां, तो यह कब, किस क्षेत्र में तथा कितना किया जायेगा ?

(ग) इस प्रस्ताव से कितनी वार्षिक बचत होने की आशा है ?

(घ) क्या यन्त्रीकरण से बेकारी फैलेगी तथा यदि हां, तो कितनी ?

(ङ) विदेशों से आवश्यक मशीनों का क्रय करने पर कितना व्यय होगा ?

रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). पूर्वी रेलवे पर प्रयोगात्मक उपाय के रूप में केवल कर्मचारीवर्ग के भविष्य-निधि-लेखों का यन्त्रीकरण किया जा रहा है ।

(ग) प्रयोग के परिणामों के संबंध में अभी कुछ नहीं करा जा सकता है । आशा है कि जहां तक कार्य की इस इकाई का संबंध है, ८९,००० रु० की वार्षिक बचत होगी ।

(घ) प्रयोग-माल में या उसके पश्चात् कोई कर्मचारी काम से अलग नहीं किया जायगा।

(ङ) अभी कोई पूंजीगत व्यय नहीं किया जायगा। मशीनें ७८,८८० रु० वार्षिक किराये पर ली जा रही हैं तथा उनका मूल्य, यदि प्रयोग के सफल होने पर ले ली गई तो, ३,६९,२२५ रु० होगा।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि सरकार को निरन्तर किराया देना पड़ेगा या वे मशीनों को मोल ले लेंगे ?

श्री अलगेशन : किराया प्रयोग-काल के लिए दिया जायगा। यदि प्रयोग सफल होता है तो, हम मशीनों को उन मूल्यों पर, जो मैंने अभी यहां बताये हैं, मोल ले लेंगे।

श्री के० पी० त्रिपाठी : यदि यह अधिष्ठापित की जाती है तो इसकी पूंजीगत लागत तथा आवर्तक लागत क्या होगी ?

श्री अलगेशन : मैं बता चुका हूं कि उन मशीनों का मूल्य, जो प्रयोगात्मक उपाय के रुप में प्रयोग की जा रहीं हैं, ३,६९,२२५ रु० होगा। आवर्तक व्यय के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि संसार के कितने देशों में लेखाकरण का यन्त्रीकरण सफलतापूर्वक किया गया है तथा हमारे रेलवे मंत्रालय को यह विचार कहां से मिला ?

श्री अलगेशन : इस समय मेरे पास वह विश्व-व्यापी सूचना नहीं है। परन्तु यह सिद्ध हो गया है कि पिछले वर्षों में इन मशीनों में प्रविधि बहुत सुधर गई है। वे अधिक विश्वास की पात्र है तथा शीघ्र परिणाम बता सकती हैं।

डाकीय जीवन बीमा

*२२५४. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कलकत्ता में डाकीय जीवन बीमा संगठन का काम शेष है ; और

(ख) क्या ३१ मार्च, १९५२ को अन्त होने वाली पंच वर्षीय अवधि की पालिसियों के सम्बन्ध में बोनस की घोषणा करने में विलम्ब हुआ है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या इस संगठन के कर्मचारियों से इस अभिप्राय के कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन के पास काम बढ़ गया है किन्तु उन की संख्या कम कर दी गई है और विभाग अधीक्षकों, निम्न तथा उच्च श्रेणी के क्लर्कों, चपड़ासियों आदि के कुछ पद हटा दिये गये हैं।

श्री राज बहादुर : वास्तव में स्थिति इस के बिलकुल विपरीत है। डाकीय जीवन बीमा संचालक ने अनुभव किया है कि समय तथा श्रम बचाने के कुछ उपायों के कारण, निम्न तथा उच्च श्रेणियों के क्लर्कों के कुछ पद फालतू घोषित करने पड़े थे और हटा दिये गये थे।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सत्य है कि हाल में इस संगठन में उप-संचालक का गजटेट पद निकाला गया था किन्तु साथ ही कुछ क्लर्कों के पद वापस कर दिये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : जी हां, श्रीमान यह केवल काम बढ़ जाने के कारण नहीं, बलिक प्रचार के कार्य के लिये

और विभाग की विभिन्न शाखाओं के बीच समायोजन स्थापित करने लिए किया गया था।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह नहीं समझा जाता कि प्रचार के कारण काम बढ़ जायेगा और कर्मचारियों की संख्या घटाने या वर्तमान कर्मचारी-वृन्द पर काम का अधिक बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री राज बहादुर : मेरे विचार में माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि समय तथा श्रम बनाने के उपाय अपनाने कारण–जो कि प्राय: सब कम्पनियां मेंअपनाए जाते हैं––एक ओर तो कुछ कर्मचारी फालतू हो जायेंगे किन्तु यदि काम बढ़ गया, तो इन कर्मचारियों की संख्या भी अनुपात से बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे ।

बिना टिकट यात्रा

* २२५५. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५२-५३ की तुलना में १९५३-५४ में उत्तर पूर्वी रेलवे पर बिना टिकट यात्रा में कोई कमी हुई थी ; और

(ख) क्या सरकार बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए इस वर्ष कोई अतिरिक्त पग उठाने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या यह सत्य है कि गत वर्ष कुछ रेलवे कर्मचारियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पाया गया था :

अध्यक्ष महोदय : संभवत: उन के पास पास थे ।

श्री शाहनवाज खां : सामान्यता उन्हें पास मिलता है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि उत्तर पूर्वी रेलवे में कुछ रेलवे कर्मचारी कई बार उच्च श्रेणियों में भी बिना टिकट यात्रा करते हैं ।

श्री शाहनवाज खां : रेलवे कर्मचारी प्राय: काम के सम्बन्ध में यात्रा करते हैं और उन्हें रेलवे पास दिये जाते हैं। अत: काम के सम्बन्ध में यात्रा करते समय उन्हें बिना टिकट जाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार का मैजिस्ट्रेटों द्वारा नियन्त्रण को अधिक कड़ा करने का विचार है ?

श्री शाहनवाज खां : मैजिस्ट्रेटों द्वारा नियन्त्रण का प्रयोग सफल सिद्ध हुआ है और मुझे विश्वास है कि रेलवे मंत्रालय स्तर पर उचित ध्यान दिया जायेगा।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि १९५२-५३ और १९५३-५४ में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से कितना रुपया वसूल किया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : बहुत बड़ी मिकदार में रुपया वसूल हुआ है लेकिन अगर आनरेबुल मेम्बर रकम जानना चाहते हैं तो मुझे नोटिस चाहिए ।

सहकारी संस्थाएं

*२२५६. **श्री बी० के० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जैसा कि उन्होंने मार्च, १९५४ में मध्यभारत में एक

सहकारी सम्मेलन में कहा था, सरकार का कृषकों में सहकारी संस्थाओं के निर्माण को प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) इस विषय में जो पग उठाये गये हैं, उन में ये सम्मिलित हैं : वित्तीय सहायता देना, अधिक अच्छे अधीक्षण और प्रक्षिण की व्यवस्था, सरकारी सहायता और कृषि सम्बन्धी सामान को बांटने के लिये सहकारी संस्थाओं को यथासंभव प्राथमिकता देना आदि।

श्री बी० के० पटेल : क्या यह योजना भारत के सब राज्यों में लागू की जायेगी

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, श्रीमान। सहायता भारत के सब राज्यों में वितरित की जायेगी।

श्री बी० के० पटेल : क्या सरकार ने सब राज्यों को यह योजना कार्यान्वित करने के लिए कहा है।

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, श्रीमान। हमारा उन के साथ पत्र व्यवहार रहता है और वे जानते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं जहां तक प्रशिक्षण और अन्य बातों का सम्बन्ध है, हम उन के सुझाव मांगते हैं और उन के कर्मचारियों को लेते हैं।

श्री एस० एन० दास : इस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने क्या ठोस पग उठाये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : ये केवल इस वर्ष के लिये नहीं कहे जा सकते। मैं अपने माननीय मित्र को बतला सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाओं को संगठित करने और बढ़ाने के लिए १० लाख रुपयों की व्यवस्था की है। हम ने ४० लाख रुपये सहकारी खेती के प्रयोगों के लिये अलग रखे हैं। ५ करोड़ रुपये मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों के रूप में दिये जायेंगे। रिजर्व बैंक ने भी राज्य सहकारी बैंकों के स्थान देने की प्रक्रिया को उदार बना दिया है और कृषकों को अग्रिम धन के रूप में मध्यकालीन ऋण देने की व्यवस्था की है।

अमोनियम सल्फेट

*२२५७. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १७ अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५८८ के उत्तर की ओर निदेश करने की कृपा करेंगे और बतायेंगे कि एफ० ए० पी० टी० अमोनियम सल्फेट का मूल्य सिन्दरी के अमोनियम सल्फेट से अधिक क्यों है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : एफ० ए० सी० टी० अमोनियम सल्फेट का मूल्य सिन्दरी के सल्फेट से इसलिए अधिक है क्योंकि एफ० ए० सी० टी० अमोनिया सल्फेट के उत्पादन पर अधिक लागत आती है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : उर्वरक संग्रह में अमोनियम सल्फेट कहां कहां से लिया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि वे यह जानना चाहते हैं कि यह हमें कहां कहां से प्राप्त होता है तो ये चार स्थान हैं : अलवाय का कारखाना, मैसूर का कारखाना, सिन्दरी का कारखाना और

कुछ अन्य कारखाने जहां यह उपोत्पाद के रूप में बनता है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : जब सब कारखानों का अमोनियम सल्फेट एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है, तो केवल एफ० ए० सी० टी० अमोनिया सल्फेट को मूल्य के ढांचे में क्यों सम्मिलित नहीं किया जाता ।

डा० पी० एस० देशमुख : उन्हें संग्रह म आने से पहले यह लालच था कि वे अधिक मूल्य प्राप्त कर सकेंगे । जब उन्होंने देखा कि वे बेच नहीं सकते और सारे भारत में मूल्य गिर गये, तो फिर वे १ जून, १९५३ को संग्रह में आ गये । अब वे इस में सम्मिलित हैं।

श्री वेलायुधन : माननीय मंत्री ने कहा है कि उत्पादन की लागत अधिक होने के कारण एफ० ए० सी० टी० अमोनिया सल्फेट का मूल्य अधिक है । क्या यह सत्य नहीं है कि उस क्षेत्र में सिन्दरी और अन्य स्थानों की अपेक्षा श्रम का व्यय कम है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं श्रम के व्यय के मामले की जांच नहीं कर सका । पहले उन्हों ने २८५ रुपये प्रति टन की अपेक्षा, जो कि हम सिन्दरी को देते हैं, ३९० रुपये प्रति टन ी मांग की थी । वास्तव में, चूंकि यह एक ऐसा कारखाना है, जिस में मद्रास और त्रावनकोर-कोचीन की सरकारों ने बहुत सा धन लगाया है इसलिए हम इन सरकारों के हितों की रक्षा करना चाहते थे । इस कारखाने को बहुत सहायता दी जाती है ।

श्री वेलायुधन : इस का उत्पादन यय से क्या सम्बन्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री वेलायुधन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इसी से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा ।

रेलवे टाइम टेबल

*२२५८. **श्री अनिरुद्ध सिन्हा :** क) क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में विभिन्न रेलवे खंडों के टाइम टेबलों के विक्रय से कितनी राशि प्राप्त हुइ थी ?

(ख) विभिन्न खंडो के टाइम टेबलों में दिये गये वाणिज्यिक या अन्य विज्ञापनों से कितनी आय हुई थी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४०**]

श्री अनिरुद्ध सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि रेलवे प्रशासन के अतिरिक्त कोई प्राइवेट एजेन्सी भी क्या रेलवे टाइम टेबुल प्रकाशित करती है ? यदि हां, तो उन्हें कुछ रायल्टी भी देनी पड़ती है ?

श्री शाहनवाज खां मुझे विदित नहीं है ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं ...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । जब तक मैं उन्हें न बुलाऊं, उन्हें नहीं बोलना चाहिए । श्री अनिरुद्ध सिन्हा ।

श्री अनिरुद्ध सिन्हा : गतवर्ष रेलवे टाइम टेबिल को छपाने में कितना खर्च हुआ और किन किन भाषाओं में टाइम टेबिल प्रकाशित किये गये ?

श्री शाहनवाज़ खां : कुल कितना खर्चा हुआ उसके आदादोशुमार मेरे पास नहीं हैं यह हर एक रेलवे के अलाहिदा अलाहिदा होते हैं। तमाम टाइम टेबिल अंग्रेजी और हिन्दी में छापे जाते हैं। मासिवा सदर्न रेलवे के जहां हिन्दी में नहीं छापे गये थे। रीजनल लैंग्वेजेज़ में भी छपते हैं। लेकिन अब रेलवे बोर्ड की तरफ से आर्डर इशू किया गया है कि सदर्न रेलवे में भी हिन्दी में छापे जायें और जो आल इंडिया टाइम टेबिल अंग्रेजी में छपता था वह भी पहली अक्तूबर से हिन्दी में छपेगा।

श्री टी० के० चौधरी : क्या माननीय सभा सचिव को मालूम है कि कलकत्ता के न्यूमेन्स द्वारा इण्डियन ब्रेडशो प्रकाशित किया जाता है और क्या न्यूमेन्स को टाइम टेबुल्स (समय सूचियां) प्रकाशित करने के लिये रेलवे बोर्ड या रेलवे अधिकारियों से स्थायी अनुमति प्राप्त है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सम्भवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि रेलवे इस मामले में कोई वित्तीय सहायता देती हैं।

श्री टी० के० चौधरी : वित्तीय सहायता नहीं। ये गैर सरकारी एजेन्सियां टाइम टेबुल्स छपवाती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इनको ऐसा करने की कोई स्थायी अनुमति मिली हुई है।

श्री अलगेशन : ये बुक स्टालों पर भी भेजे जाते हैं, और इनके बेचे जाने की अनुमति दी गई है।

रेल भाड़े का चैक द्वारा भुगतान

*२२५९. **श्री देवगम :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पूर्वी रेलवे में यह प्रथा है कि वह माल प्राप्त कर्त्ताओं से रेलवे भाड़े का भुगतान के लिये नकद धन के स्थान पर चैक स्वीकार करती है;

(ख) पार्टियों से कितनी राशि तक के चैक स्वीकार किये जाते हैं; तथा

(ग) किस प्रक्रिया के अन्तर्गत यह किया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) पुराने फर्मों को, जो किसी स्टेशन विशेष पर प्रतिमास औसतन ५०० रु० से ३,००० रुपये तक का माल मंगाते हैं उन्हें भाड़े का भुगतान चैक द्वारा करने का अधिकार है।

(ख) प्रतिभूति निक्षेप की अधिकतम राशि तक के चैक स्वीकार किये जाते हैं।

(ग) फर्मों को सरकार के पास प्रतिभूति के रूप में कम से कम रेल के एक महीने के भाड़े की राशि के बराबर राशि जमा करनी पड़ती है। यह प्रतिभूति निक्षेप नकद रुपये, सरकारी वचन पत्र या बैंक की प्रत्याभूति देकर करना पड़ता है। यह निक्षेप ऐसे प्रत्येक स्टेशन के लिये करना चाहिये जहां से माल भेजा जाता है या प्राप्त किया जाता है और जहां फर्म चैक द्वारा रेल के भाड़े का भुगतान करना चाहते हों।

अमरीकी कृषि व्यापार शिष्टमंडल

*२२६०. **श्री रघुरामय्या** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या एक अमरीकी कृषि व्यापार शिष्टमण्डल भारत का दौरा कर रहा है;

(ख) क्या यह दौरा भारत सरकार के कहने पर किया जा रहा है; तथा

(ग) उसके दौरे का क्या उद्देश्य है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां।

(क) अमरीकी कृषि व्यापार शिष्ट-मंडल ने अप्रैल १९५४ में भारत का दौरा किया था ?

(ख) जी नहीं।

(ग) इस दौरे का उद्देश्य भारत की कृषि स्थिति का अध्ययन करना तथा भारत और अमरीका के बीच परस्पर स्वीकार्य आधार पर माल का विनिमय करने के लिये नींव डालना है।

श्री रघुरामय्या : अमेरिका में अति-रेक वाली कृषि की पैदावार कौन सी हैं जिन्हें वह यहां बेचना चाहता है और क्या उस शिष्टमंडल ने हमारी किसी कृषि पैदावार में रुचि दिखलाई है और यदि ऐसा है, तो किसमें ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि पहिले ही पढ़े गये उत्तर में बता दिया गया है यह सूचना के पारस्परिक आदान प्रदान का मामला है। सम्भवत: जिन चीज़ों को अमेरिका हमें देने के लिये उत्सुक है वे गेहूं, मक्खन, बिनौले का तेल तथा दूध का पाउडर है।

श्री रघुरामय्या : मेरे प्रश्न के द्वितीय भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : हमसे वह क्या चीज़ें लेना चाहता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारा विचार उसे अभ्रक, चमड़ा, पटसन का माल तथा तम्बाकू देने का है।

श्री रघुरामय्या : क्या इन में से किसी वस्तु के लिये सौदा तय हो गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं। शिष्टमंडल का किसी सौदे को अन्तिम रूप से तय करने का उद्देश्य नहीं था। उसका दौरा तो केवल इस मामले की सम्भावनाओं का पता लगाने के बारे में था।

श्री बंसल : क्या भारत सरकार को मालूम है कि अमेरिका में गेहूं का बहुत अधिक अतिरेक है जिसकी मात्रा लगभग १,४०,००,००० टन है, और यदि ऐसा है, तो क्या उस शिष्टमंडल ने भारत सरकार को गेहूं की इस मात्रा में कुछ गेहूं, ऋण पर वस्तु विनिमय या मूल्य देकर खरीदने के आधार पर खरीदने का सुझाव दिया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : अमेरिका में वास्तव में कितना अतिरेक है, हो सकता है कि इस बारे में माननीय सदस्य को अच्छी प्रकार से मालूम हो किन्तु यह सत्य है कि उस शिष्टमंडल ने इस बात को नहीं छिपाया कि इस वर्ष की सारी फसल बेचने से बची हुई है।

श्री बंसल : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या.....

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

चीनी का आयात

*२२६२. **डा० रामा राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न देशों से हाल ही में जो सौदे किये गये थे उनमें चीनी किस दर पर खरीदी गई थी;

(ख) उस पर भाड़ा कितना दिया गया था; तथा

(ग) भारतीय बन्दरगाहों पर आने पर उसका औसतन मूल्य कितना था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख) । भारतीय बन्दरगाहों पर भाड़ा सहित मूल्य प्रतिटन लगभग ३६ पौंड से ३९ पौंड था ।

(ग) २७ रुपया ५ आना ३ पाई प्रतिमन ।

डा० रामा राव : जितनी चीनी हमने पहिले ही मंगाई और जितनी हम शीघ्र मंगाने वाले हैं उस पर कुल अनुमानित व्यय कितना होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि देश में इतनी आवश्यकता हुई तो हमारा विचार लगभग पांच लाख टन तक मंगाने का है । अन्त में हमें इतनी मात्रा की आवश्यकता होगी । जैसा कि मैंने पहिले बताया है, ३०,००० टन के लिये हमने लगभग डेढ़ करोड़ रुपये खर्च किये ।

डा० रामा राव : क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गन्ने का अनार्थिक मूल्य निर्धारण के कारण हमारी व्यवस्था पर भार पड़ रहा है और इसके फलस्वरूप किसानों को हानि हो रही है, मिलों को गन्ना कम मिल रहा है और सरकार के उत्पादन शुल्क राजस्व में कमी हो रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं कि इसका, जिस मामले को माननीय सदस्य ने उठाया है, उस से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि गन्ने की उपलब्धता तो उतनी ही है, फिर चाहे इसका गुड़ बने या चीनी बनाई जाय ।

श्री एल० एन० मिश्र : किन बातों के कारण सरकार विदेशों से चीनी मंगाना चाहती है और भारत को देश के संसाधनों के द्वारा आत्मनिर्भर नहीं करना चाहती ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम देश को आत्म निर्भर बनाने के अपने उद्देश्य से नहीं हटे हैं, किन्तु कुछ भागों में खराब मौसम तथा वर्षा कम होने के कारण फसल पर प्रभाव पड़ा था ।

गन्ने की खोई

*२२६३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने की खोई से बनाये गये कागज़ की प्रति टन उत्पादन लागत कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : यदि १०० प्रतिशत खोई का गूदा प्रयुक्त किया जाय तो प्रति टन ७१४ रुपया और यदि ७० प्रतिशत खोई का गूदा तथा ३० प्रतिशत बांस का गूदा प्रयुक्त किया जाय तो प्रति टन ७८३ रुपया ।

श्री विभूति मिश्र : यदि यह कागज बाजार में बेचा जाय तो इसकी कितनी कीमत होगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : एग्जेक्ट प्राइस बताना तो मुश्किल है लेकिन १० या १५ पर सेंट सस्ता होना चाहिए ।

श्री विभूति मिश्र : जब देश में चारे की कमी है और गरीबों के लिए अपने घर बनाने के सामान की कमी है उस समय यदि सरकार बगास से कागज़ बनाये तो क्या इन चीजों की और ज्यादा कमी हो जायगी, और क्या इस चारे की कमी और गरीबों के मकान के सामान की कमी को पूरा करने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । आप केवल तर्क कर रहे हैं । इसके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं । अगला प्रश्न ।

रेलवे दुर्घटना

*२२६४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ फरवरी, १९५४ को पिड्गुराला और नढीकुडि स्टेशनों के बीच नं० ११२८ यात्री गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई ; और

(घ) यदि हां, तो इस में किन किन बातों का पता चला ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । १२ फरवरी १९५४ को, जबकि दक्षिण रेलवे के पिड्गुराला तथा नाढिकुडि स्टेशनों के बीच नं० ११२८ यात्री गाड़ी १५३४ वें मील में से जा रही थी उस समय उससे एक उस मालगाड़ी का, जो ७ फरवरी, १९५४ को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, एक वैगन, जोकि पटरी के सहारे छोड़ दिया गया था, इंजन टेंडर और यात्री गाड़ी के डिब्बों से टकरा गया जिसके परिणाम स्वरूप हाथ से सहारा लेने वाले हथे (हैंड रेल्स), फुट बोर्ड तथा किनारों के चौखटों को नुकसान हुआ ।

(ख) फुटबोर्ड पर सफर करने वाले दो यात्री मारे गये तथा अन्य दो यात्रियों को गहरी चोटें आईं ।

(ग) तथा (घ) । रेलवे के सरकारी निरीक्षक (इंस्पैक्टर), बंगलौर, ने इस दुर्घटना की जांच की । उसकी अस्थायी उपपत्ति यह है कि यह दुर्घटना उस खुले खाली वैगन से हुई थी जो कि लाइन के सहारे पड़ा हुआ था जो कि तेज़ हवा के कारण ऐसी जगह पर जा पड़ा जहां वह यात्री गाड़ी से टकरा गया जैसा कि उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में बताया गया है ।

श्री रघुनाथ सिंह: इसमें रेलवे की क्या हानि हुई ?

श्री शाहनवाज खां : १२५० रुपया ।

डाकखाने की इमारतें

*२२६५. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत डाकखानों, और० एम० एस० कार्यालयों आदि के लिये नई इमारतें बनवाने के लिये ढाई लाख की नियत धन राशि में से अब तक कितना रुपया व्यय हुआ है;

(ख) कितनी इमारतें बनवाई गई हैं;

(ग) १९५४-५५ में कितनी इमारतें बन जाने की आशा की जाती है; तथा

(घ) क्या तालिका के अनुसार कार्य करने में कोई कठिनाई अनुभव की जा रही है?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सही राशि २ करोड़ ५० लाख रुपया है । डाकखानों, ग्रौर० एम० एस० कार्यालयों आदि के लिये नई इमारतें बनवाने पर ज़नवरी, १९५४ के ग्रन्त तक निम्न राशि व्यय की गई है :

नई आस्तियों पर
पूंजी व्यय ४२·३५ लाख रुपया

मरम्मत तथा
प्रतिस्थापन
व्यय ५·३६ लाख रुपया

(ख) २५

(घ) लगभग १४६ जिनमें विद्यमान इमारतों का विस्तार भी सम्मिलित है ।

(घ) हां ऐसे मामलों को अन्तर्ग्रसित प्रक्रिया के कारण, उदाहरण के लिये,

(१) यदि कोई ग्रापत्ति न की जाय तो भूमि के ग्रधिग्रहण में ९ मास से लेकर १२ मास लग जाते हैं ;

(२) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को (१) प्रारम्भिक रेखाचित्र (२) डाक तथा तार विभाग की स्वीकृति तथा (३) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार करने में लगभग छः मास का समय लग जाता है ।

(३) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को डाक व तार विभाग के प्रशासनीय ग्रनुमति के मामले तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की टेक्निकल स्वीकृति के मामले में लगभग ४ मास का समय लग जाता है ।

(४) कुछ मामलों में केन्द्रीय लोक निर्माण को सौंपे गये कार्यों को करने की कोई अपनी एजेंसी नहीं है ग्रौर यह कार्य राज्य के लोक निर्माण विभाग से करवाना पड़ता है ।

(५) कुछ मामलों में ठेकेदार काम को बिना समाप्त किये ही छोड़कर चले जाते हैं ।

(६) यदि इमारतें किसी ऐसे स्थान में हैं जहां सड़कों आदि की व्यवस्था नहीं है जैसे आसाम में है, ऐसी दशा में उचित संख्या में मजदूर तथा अन्य सामान प्राप्त करने में अत्यधिक समय लग जाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रश्न के भाग (ख) उत्तर के निर्देश में, क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों द्वारा इमारतों पर व्यय की जाने वाली ५००० रु० राशि में वृद्धि करने की सम्भावना पर विचार किया है, ग्रौर यदि ऐसा है, तो यह वृद्धि कितनी होगी?

श्री राज बहादुर : ५००० रु० की राशि क्षेत्रो के लिये नहीं है । मैं अपनी स्मरण शक्ति से बता रहा हूं कि यह राशि बीस हज़ार रुपया या इससे अधिक हैं, ५००० रु० की निश्चित राशि तो विभागों के लिये है । कार्य को और शीघ्रता से चलाने के लिये इन निर्धारित वित्तीय सीमाग्रों में वृद्धि की जा सकती है या नहीं, यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री एस० सी० सामन्त : इमारतों के लिये जो निधियां प्रतिवर्ष नियत की जाती हैं, ज़ब्त किये जाने की सम्भावनाग्रों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई है ?

श्री राज बहादुर : विभिन्न कार्यों की प्रत्येक अवस्था पर अत्यधिक छानबीन तथा प्रगति की जांच करना । एक कार्य को पूरा होने में कितना समय लगता है इस कार्यक्रम का पूरा विवरण मैं पहले ही अपने उत्तर में दे चुका हूं । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उसकी सराहना करेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं कि विभाग ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से प्रस्ताव एक वर्ष अग्रिम प्रस्तुत कर देने के लिये कहा है, और यदि ऐसा है, तो क्या ऐसा किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : कार्य का कार्य-क्रम बना लिया गया है, और एक समय निश्चित कर दिया गया है, जिस तक वे कर्मचारियों की समान तथा अन्य जिस वस्तु की आवश्यकता हो इनकी मांग प्रस्तुत कर सके ।

कोयले की खानों में भविष्य निधि तथा बोनस की योजना

*२२६६. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार में कोयले की खाने भविष्य निधि तथा खानों की बोनस योजनायें अधिनियम के अन्तर्गत १९५३ तथा मार्च १९५४ में कोयले की खानों के कितने मालिकों पर अभियोग चलाये गये, तथा

(ख) इनमें से कितने मामले में वे अन्त में अपराधी ठहराये गये ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) १९५३ तथा मार्च ११५४ में, कोयले की खानें भविष्य निधि योजना, १९४८ के अन्तर्गत १३० तथा कोयले की खानें बोनस योजना, १८४८ के अन्तर्गत ११ लोगों पर अभियोग लगाया गया है, ये अपराध कोयले की खानें भविष्य निधि तथा बोनस योजना अधिनियम, १९४८ के अधीन लगाये गये हैं ।

(ख) कोयले खाने भविष्य निधि योजना, १९४९ के अन्तर्गत ५३ मामलों में तथा कोयले की खानें बोनस योजना १९४८ के अन्तर्गत ९ मामलों में वे अपराधी ठहराये गये हैं ।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कोयले की खानें भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अवशिष्ट ७७ मामलों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :

वापस लिये गये अभियोगों की संख्या	३
उन अभियोगों की संख्या जिनमें अपराधी छोड़ दिये गये थे	१
उन अभियोगों की संख्या जिनमें कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी	१
अनिर्णीत अभियोगों की संख्या	७२

बिहार में १९५३ तथा मार्च, १९५४ तक कोयले की खानें बोनस योजना के अधीन अभियोग चलाये गये ११ अभियोगों में से ८ अपराधी ठहराये गये । शेष दो अभियोगों में से एक अभियोग अपराधी द्वारा क्षतिपूर्ति करवा कर वापस ले लिया गया था, और दूसरे अभियोग का अभी निर्णय होना बाकी है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : किन कारणों पर ये अभियोग वापस ले लिये गये हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : कोयले की खानें भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम, १९४८ की धारा ९ (१) में यह उपबन्ध है कि यदि कोई भी व्यक्ति इन उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करता है तो उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो अभियोग के वापस लिये जाने के कारण जानना चाहते हैं ।

श्री वी० वी० गिरि : : अधिनियम व्यवस्था करता है कि यदि अपराधी मालिकों में से कोई भी उल्लंघनों को ठीक करता है और शिकायत को वापस ले लेने का निवेदन करता है, तो व्ययों तथा विधि द्वारा किये गये व्ययों की क्षतिपूर्ति

करने के पश्चात् ही सरकार की पूर्व अनुमति से ही अभियोग वापस लिया जा सकता है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : जिन अभियोगों में वे अपराधी ठहराये गये हैं, क्या उनमें मज़दूरों के हितों की रक्षा की गई थी और बाद को मालिकों को कुछ धन देना पड़ा था, अथवा अपराधी ठहराये जाने के बाद और मुक्त कर दिये जाने के बाद उनको उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया था ?

श्री वी० वी० गिरि : दायित्व रह जाता है ।

इंडियन फारेस्ट कालेज, देहरादून

*२२६७. **श्री भागवत झा आजाद :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री देहरादून के भारतीय फारेस्ट कालेज में प्रशिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या सरकार इस संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

(ग) क्या विद्यार्थियों को अध्ययन के लिये देश के विभिन्न बनों में दौरे पर ले जाया जाता है ?

(घ) एक वर्ष में कितने दौरे किये जाते हैं और देश के किन किन भागों में ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) १९५३-५५ के पाठ्य-क्रम में ६७ तथा १९५४-५६ के पाठ्यक्रम में ७६ विद्यार्थी हैं ।

(ख) नहीं ।

(ग) हां ।

(घ) पाठ्य क्रम के दो वर्षों में छः निम्न स्थानों के दौरों का आयोजन किया जाता है :—

(१) चकराता ।

(२) सहारनपुर तथा होशियारपुर क्षेत्र ।

(३) देहरादून क्षेत्र ।

(४) कुलू तथा कांगड़ा वन-क्षेत्र ।

(५) गोरखपुर, रामनगर तथा हल-द्वानीक्षेत्र तथा रुड़की में फ़ील्ड इन्जीनियरिंग पाठ्य क्रम ।

(६) बम्बई (उत्तरी तथा पश्चिमी कनाडा) तथा मध्य प्रदेश (उत्तरी तथा दक्षिणी चांदा)

श्री भागवत झा आजाद : उस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि इन में से तीन दौरों का उल्लेख माननीय मंत्री द्वारा किया गया है ये स्थान एक ही प्रकार की वनस्पति के हैं, क्या सरकार विभिन्न प्रकार की वनस्पति वाले स्थानों जैसे दार्जीलिंग, अण्डमान तथा नीकोबार द्वीप-समूहों आदि के भी दौरे कराने का विचार रखती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं माननीय सदस्य के सुझाव का निर्देश विचार करने के लिये कर दूंगा।

श्री भागवत झा आजाद : इस तथ्य की दृष्टि से कि इन विद्यार्थियों को विभिन्न बनस्पितयों का ज्ञान कराया जाय, और इन दौरों पर बहुत धन व्यय होता है, क्या उनके पास कालेज तथा विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों का कोई सुझाव उन को देश के भिन्न-भिन्न भागों में ले जाने का प्राप्त हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि सभी को विदित है कि यह ख्यातिप्राप्त

बहुत प्राचीन संस्था है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी सुझाव जो अनुसरण करने योग्य रहा होगा उस पर विचार तथा अनुसरण अवश्य किया गया होगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस तथ्य की दृष्टि से इस कालेज में जो प्रशिक्षा दी जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण है, और कालेज में वर्तमान विद्यार्थियों की संख्या ६७ या उसके आस-पास है, जो देश के विभिन्न २ भागों से इतनी बड़ी संख्या में आये हुये विद्यार्थियों की मांग को देखते हुये बहुत ही कम है और इसी कारण बहुतों को अस्वीकार कर दिया जाता है, अतः सरकार कालेज में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख: हमारी सूचना के अनुसार यहां के प्रशिक्षित लोगों को गैर सरकारी काम मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है । हम साधारणतः राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ; और उनके द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करते हैं । इन परिस्थितियों में अन्य लोगों को अधिक सुविधायें देने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वे साधन हीन होने के कारण विवश होंगे और इससे और भी बेकारी बढ़ेगी ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस बात का कोई रेकार्ड रखा गया है कि प्रशिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् इन विद्यार्थियों को कहां नौकरी मिलती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, पहले तो उनको राज्य सरकारों द्वारा निश्चित रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये भेजा जाता है ।

रेलवे स्टोर

*२२६९. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५३-५४ में रेलवे स्टोरों को (१) आदान-प्रदान अथवा (२) डिपो में, चोरियों अथवा अन्य किसी प्रकार से कुछ हानि हुई है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इन दोनों में से किसी भी दशा में कितना धन अन्तर्ग्रसित था ?

(ग) क्या कुछ सामान मिल गया है, और यदि ऐसा है तो कितना ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां ।

(ख) हानि निम्न हुई :

(१) आदान-प्रदान में—लगभग ३,९५,००० रुपया ।

(२) डिपो में – लगभग ४,७४००० रुपया ।

(ग) हां, अब तक १,७११ रुपये पुनः मिल सका है ।

श्री के० सी० सोधिया : इन स्टोरों का स्टाक करने तथा निकास करने के लिये रेलवे का कौन सा विभाग प्रभारी है ?

श्री शाहनवाज खां : स्टोर विभाग।

श्री के० सी० सोधिया : रेलवे वर्क शापों में बनी हुई वस्तुओं के मूल्य किस प्रकार आंके जाते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : हमारे अपने विशेषज्ञ हैं, जो उनको बनाते भी हैं और मूल्य भी निश्चित करते हैं ।

टेलीफोन डायरेक्टरियां

*२२७०. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के कितने नगरों के लिये टेलीफोन डायरेक्टरियां छापी जाती हैं ;

(ख) १९५३–५४ में इन की छपाई पर कितना खर्च हुआ ; और

(ग) इसी काल में इन में छपे विज्ञापनों से कुल कितनी आय हुई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री एस० एन० दास : पिछले सत्र में इसी प्रकार के प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि सूचना एकत्र की जा रही थी तथा यथासमय सदन-पटल पर रखी जायेगी। उन आंकड़ों के एकत्र करने में कितनी प्रप्ति हुई है ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य के लाभार्थ मैं यह बता दूं कि विवरण ३ दिसम्बर, १९३३ को सदन पटल पर रखा गया था । उसे संसद्–कार्य मंत्री को भेजा गया था तथा अनुमानतः उसे सदन पटल पर यथासमय रख दिया गया था ।

श्री एस० एन० दास : इन विज्ञापनों को किन अभिकरणों द्वारा प्राप्त किया जाता है ? क्या टैन्डर मंगाऐ जाते हैं, तथा यदि ऐसा है, तो कहां से ?

श्री राज बहादुर : टैन्डर मंगाये जाते हैं । जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, यह इस वर्ष की दिल्ली टेलीफोन डायरेक्ट्री के लिए सरकार को अधिकतम लाभ के आधार पर मैसर्स वासुदेव पब्लिसिटी सर्विस को दिया गया है । कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के मामले में, यह मैसर्स पब्लिसिटी सर्विस आफ इन्डिया लिमिटेड को दिया गया है ।

श्री एस० एन० दास : क्या सब से कम उद्धरण वाले टेन्डर को स्वीकार किया गया था, तथा यदि नहीं, तो इस के कारण ?

अध्यक्ष महोदय : इस से आप प्रशासनिक व्यौरे में बहुत गहराई से जा रहे हैं । यह बात तो आपको सरकार पर छोड़नी होगी ।

अब हम माननीय सदस्य के अनुपस्थित होने से तारांकित प्रश्न संख्या २२७१ को दूसरी बारी में लेंगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय रेलवे सम्मेलन

*२२७२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या यह सच है एक अन्तर्राष्ट्रीय रेलवे सम्मेलन लन्दन में आयोजित किया जाने वाला है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या भारत इस सम्मेलन में भाग लेगा ; तथा

(ग) इस सम्मेलन के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान ।

(ग) इस संस्था का उद्देश्य उच्चस्तरीय विशेषणों द्वारा समय समय पर परस्पर विचार विमर्श किये जाने की सुविधा देकर आधुनिक प्रकार के रेलवे संस्थापनाओं, कारखानों और हाल ही सम्मेलन के सत्रों के दौरान में अध्ययन यात्रा करके तथा अपनी मासिक पत्रिकाओं में प्राविधिक साहित्य के प्रकाशन आदि से रेलवे की उन्नति तथा विकास में सहायता देना है । भारतीय रेलों ने इस

संस्था की, जो प्रौद्योगकीय विज्ञान के क्षेत्र में अपने प्रकार की समस्त संसार में एक ही मुख्य संस्था है, सदस्यता से बहुत लाभ उठाया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डाक व तार विभाग विशेषज्ञ समिति

*२२४१. **श्री राघवय्या** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) डाक व तार विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें क्या हैं; तथा

(ख) सरकार द्वारा इस समिति की सभी सिफारिशों के कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) समिति की रिपोर्ट की एक प्रति संसद् के पुस्तकालय में रखी गई है।

(ख) समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारणों का उल्लेख समिति की रिपोर्ट पर जारी किये गये सरकारी आदेशों में किया गया है।

विभिन्न रेलों पर सोडा लैमन आदि बेचने के लाइसेंस

*२२४३. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे पर सोडा लैमन आदि बेचने के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में किस नीति का अनसरण किया गया है ?

(ख) क्या यही नीति सभी रेलों के सम्बन्ध में अपनाई गई है ?

(ग) रेलवे हातों में बिकने वाले इस सोडा लैमन आदि की रोगाणुओं के विचार से परीक्षण करने का उत्तर-दायत्वि किस पर है तथा यह परीक्षण कितने समय के बाद किया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) सोडा लैमन आदि बेचने के लाइसेंस प्रार्थना पत्रों के आने पर दिये जाते हैं। बेचे जाने वाले सोडा लैमन आदि का जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रमाणित फैक्टरियों से लाया जाना आवश्यक है तथा इन के दाम रेलवे प्रशासन द्वारा निश्चित किये जाते है।

(ख) सभी भारतीय रेलों के सम्बन्ध में इसी नीति का अनुसरण किया जाता है।

(ग) उत्तर के भाग (क) में निर्दिष्ट सम्बन्धित राज्य सरकार के जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये गये प्रारम्भिक प्रमाणीकरण के अतिरिक्त, रेलवे प्रशासन भी रेलवे हातों में बिकने वाले सोडा लैमन आदि का समय समय पर परीक्षण करते हैं।

हरकार सेवा

*२२६१. **श्री कृष्णाचार्य** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के मुफसिल मार्गों पर डाक के ले जाने के अभी तक चालू हरकारा मार्गों की कुल संख्या कितनी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : डाक के ले जाने के लिए देश में कुल १९,६१३ हरकारा–मार्ग हैं।

डी० डी० टी०

*२२६८. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह सच है कि कुछ देशों में मच्छरों तथा कुछ और कीड़ों ने डी० डी० टी० को सहन करने की समर्थता प्राप्त कर ली है ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि मद्रास म डी० डी० टी० सहन करने वाले मच्छर पाये जाते हैं ?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस सम्बन्ध में किस स्थान पर गवेषणा कार्य आरम्भ किया गया है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) बताया जाता है कि कुछ देशों में जैसे अमेरीका तथा यूरुप के और कुछ भागों में मच्छर तथा दूसरे कीटाणु डी० डी० टी० को सहन करने के समर्थ पाये गये हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) भारतीय मलेरिया संस्था, दिल्ली दक्षिण भारत में इसकी शाखा कुन्नूर में इस बात को निर्धारित करन के लिए कि क्या मच्छरों की कोई किस्में डी० डी० टी० का सामना कर सकती हैं या नहीं बड़े पैमाने पर प्रयोग किये गये हैं । इन प्रयोगों के परिणामों से पता चला है कि अभी तक मच्छरों की किसी किस्म में, जिस पर कि परी ण ह चुका है, यह सहन शक्ति नहीं आई है ।

परिवार आयोजन

*२२६१. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह सच है कि परिवार आयोजन में व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र खोले जाने वाले हैं ?

(ख) कितन केन्द्र खोले जाने वाले हैं तथा किन किन स्थानों पर ?

(ग) वे कब खोले जाने वाले हैं ?

(घ) क्या मद्रास राज्य में भी ऐसे केन्द्रों के खोले जाने की कोई प्रस्थापना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राज कुमारी अमृत-कौर): (क) जी हां ।

(ख) तथा (घ). इस समय तो केवल बम्बई में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की प्रस्थापना है । इसके अतिरित प्रशिक्षण के अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी राज्यों में संगठित किये जायेगे ।

(ग) वर्ष १९५४-५५ में ।

मसाला जांच समिति की रिपोर्ट

*२२७३. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २६ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३१७ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि मसाला जांच समिति की मुख्य सिफारिशें क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): मसाला जांच समिति ने जिन छः फसलों के बारे में जांच की है, उनके बारे में उसने पृथक पृथक रिपोर्टें भेजी हैं । समिति की मुख्य सिफारिशें ये हैं :

(१) काली मिर्च तथा काजू के उत्पादन तथा विक्रय के विकास के लिए एक केन्द्रीय विकास निधि की स्थापना की जाय । यह वस्तुयें एकहित दस वर्षीय

योजना के अनुसार डालर की अधिकतम राशि अर्जित करती हैं ;

(२) अमेरिका तथा ब्रिटेन में प्रचार तथा विक्रय को बढ़ाने के लिए विशेष अभिकरणों की स्थापना की जानी चाहिये ; तथा

(३) मसालों के विकास के लिए केन्द्रीय तथा राज्य मंत्रणा समिति स्थापित की जानी चाहिये ।

अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता

४७७. **श्री राघवय्या :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) डाक तथा तार विभाग में अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ताओं के भत्ते किस आधार पर निश्चित किये जाते हैं ; तथा

(ख) इस समय, क्षेत्रानुसार देश अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता कितने हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ताओं को मूल भत्ता और महंगाई भत्ता दिया जाता है । अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को मिलने वाले भत्ते को दर्शाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । यह भत्ता अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ताओं द्वारा केवल कुछ समय के लिये किये जाने वाले डाक सम्बन्धी काम का पारिश्रमिक होता है और यह मुख्यतया उनके द्वारा किये जाने वाले काम की मात्रा के अनुसार निश्चित किया जाता है ।

(ख) जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है : **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४१]**

तृतीय श्रेणी के यात्री डिब्बे

४७८. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में १९५३ में तृतीय श्रेणी के कितने यात्री डिब्बे तैयार किये गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : भारत में १९५३ में तृतीय श्रेणी के ३५३ और तृतीय श्रेणी का स्थान रखने वाले २११ मिले जुले यात्री डिब्बे बनाये गये थे ।

रेलवे अस्पताल

४७९. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे पर मायावरम् रेलवे बस्ती में एक नया रेलवे अस्पताल बनाया जा रहा है ?

(ख) इमारत की अनुमानित लागत क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). मायावरम में कोई नया अस्पताल नहीं बनाया जा रहा है । ७०,००० रुपये की अनुमानित लागत पर वहां केवल एक डिसपेंसरी बनाई जा रही है ।

हवाई अड्डा संचालक

४८०. **श्री पी० एन० राजभोज :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हवाई अड्डा संस्था में संचालकों की नियुक्ति अस्थायी थी, और

क्या उन से यह कहा गया था कि यदि वे परीक्षा पास करेंगे तो उन्हें नौकरी में रखा जाएगा ; और

(ख) यदि ऐसी बात नहीं थी, तो इन कर्मचारियों पर जिन्होंने बहुत वर्षों से काम किया है, इस प्रकार का प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख)। हवाई अड्डा संचालक श्रेणी १ को [जिन्हें प्रारम्भ में नियंत्रण संचालक एवं विमान क्षेत्र (हवाई अड्डा) अधीक्षक श्रेणी १ की पदवी दी गई थी], जिन्हें सर्वप्रथम १९४६ में भर्ती किया गया था, अपनी नियुक्ति से पहले, प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर में प्रशिक्षा प्राप्त करने के बाद, एक परीक्षा पास करनी थी। विभाजन के पश्चात् कई अनुभवी कर्मचारियों के पाकिस्तान में यह काम करने, तथा असैनिक उड्डयन गतिविधियों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप बहुत उम्मीदवारों को ट्रांस्फर ब्यूरो के माध्यम से भर्ती करना पड़ा। चूंकि सहारनपुर स्थित प्रशिक्षण केन्द्र बन्द कर दिया गया था, अतः इन लोगों को नियुक्ति से पहले प्रशिक्षित नहीं किया जा सका। जब इलाहाबाद में प्रशिक्षण केन्द्र फिर से खोला गया, उस समय यह तय हो पाया कि उन सब उम्मीदवारों को जिन्हें पहले प्रशिक्षित नहीं किया गया था, प्रशिक्षा दी जाएगी ताकि वे संतोषजनक ढंग से, प्रमापानुसार, काम कर सकें। प्रशिक्षण के अन्त पर उन्हें परीक्षा पास करनी पड़ती है। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में असफल रहे, तो उसे और दो बार केवल उन विषयों या पत्रों में परीक्षा देनी पड़ती है जिन में वह पहली बार रह गया हो। जो हर बार असफल रहते हैं, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है। चूंकि इन पदाधिकारियों का रोजमर्रा काम विमान-संचालन से ही स्पष्ट रूप में सम्बन्धित है, अतः संचालन की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उन में ऊंचे दर्जे की कार्य क्षमता हो।

द्वितीय श्रेणी के हवाई अड्डा संचालकों को न तो प्रशिक्षणार्थ भेजा जाता है, और न उन से इस बात की आशा की जाती है कि वे नौकरी जारी रखने के लिए कोई परीक्षा पास करें।

डाक तथा तार विभाग में पदोन्नति

४८१. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १९४६ के हड़ताल निपटारे में सरकार ने यह स्वीकार किया था कि डाकियों, डाक गार्डों, लाइनमैनों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए क्लर्कों की पदाली में ५० प्रतिशत रिक्तताएं रक्षित की जाएंगी ?

(ख) क्या सरकार १९४७ से १९५३ तक, वर्षवार, रिक्तताओं के आंकड़े बतायेगी, और यह भी बतायेगी कि इन रिक्तताओं पर कितने डाकियों और चतुर्थ श्रेणी के पदाधिकारियों को पदोन्नत किया गया ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन-पटल पर रखी जाएगी।

डी० टी० एस०

४८२. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार की १९५३-५४ की रिपोर्ट में जिन ७० बसों की चर्चा की गई है, उन में से

३० अप्रैल, १९५४ तक कितनी बसें डी० टी० एस० को मिलीं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जिन ७० बसों की चर्चा की गई है उनमें से ४४ तो मिल चुकी हैं, और शेष २६ में से जिन की ऊपर की बाडी बनाई जा रही है, इस महीने के पहले पखवाड़े में २४ मिलने की आशा है, और शेष दो बसें दूसरे पखवाड़े में मिलेंगी।

बिना टिकट की यात्रा

४८४. **श्री देवगम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१, १९५२ और १९५३ में राजखरश्वान-गुआ ब्रांच लाइन पर बिना टिकट की यात्रा करने वाले कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया ; और

(ख) उपरोक्त वर्षों में, प्रतिवर्ष, इन यात्रियों से कितना धन वसूल किया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

(क)	१९५१			४,८७०
	१९५२			५,३३०
	१९५३			५,२६१
		रु०	आ०	पा०
(ख)	१९५१	१०,३८९	४	०
	१९५२	१०,६५४	१०	०
	१९५३	१०,१३७	२	०

रेलवे के मजिस्ट्रेट

४८५. **श्री भीखा भाई** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय रेलवे अधिनियम के अधीन राजस्थान में अपराधों के अभियोगों का निपटारा करने वाले रेलवे के मजिस्ट्रटों की संख्या कितनी है ;

(ख) १९५३-५४ में अभियोगों तथा अभियोग सिद्धि के मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इन न्यायालयों द्वारा कितना जुर्माना इकट्ठा किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) राजस्थान में इस प्रकार के रेलवे के मजिस्ट्रेटों की अलग नियुक्ति नहीं की जाती है।

(ख) यों तो, १९५३–५४ में भारतीय रेलवे अधिनियम के अधीन राजस्थान में अपराधों के अभियोगों का निपटारा करने वाले सिविल मजिस्ट्रेटों ने १३४४ अभियोग और ९३९ अभियोगसिद्धि के मामले निपटाये थे।

(ग) इस अवधि में सिविल मजिस्ट्रेटों ने जुर्माने के रूप में १,२७१ रुपये इकटठे किय थे।

बुधवार,
५ मई, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

(अंक ५--५ मई से २१ मई, १९५४)

बुधवार, ५ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
आय नियम, १९५४	४६४९
विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाला विवरण	४६४९—४६५२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--- आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन	४६५२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना---चनपतिया तथा बेतिया के बीच रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	४६५२—४६५५
सदस्य की दोष सिद्धि	४६५५—४६५६
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव---असमाप्त	४६५६—४७१०

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
वित्त विधेयक पर हुये विवाद के दौरान में सदस्यों द्वारा पूछे गये कई प्रश्नों के सम्बन्ध में टिप्पणियां	४७११—४७१६
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	४७१६—४७१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना--- कोलम्बो में हुए एशियाई प्रधान मंत्री सम्मेलन में मोरक्को, ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन और इसराईल के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के विषय में समाचार पत्रों की रिपोर्ट	४७१७—४७१९
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने तथा जनमत के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता को संशोधित करने वाला श्री एस० वी० रामस्वामी द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव--- असमाप्त	४७१९—४७७६

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

संसद सदस्य श्री बी० एल० तुडू का देहावसान	

राज्य परिषद् से सन्देश ४७७७

बाल विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ४७७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना--इस्पात के नये कारखाने की स्थापना का स्थान ४७७८--४७८०

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न पर पाकिस्तान से हुई बातचीत के सम्बन्ध में विवरण ४७८०--४७८१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करने का प्रस्ताव--असमाप्त ४७८१--४८१०

शनिवार, ८ मई, १९५४

आश्वासन समिति--

प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन ४८११

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--याचनाओं का उपस्थापन ४८११--४८१२

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

चन्द्रनगर जांच आयोग की सिफारिशों के बारे में भारत सरकार के निर्णय ४८१२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक--पुरःस्थापित ४८१२--४८१३

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपा गया ४८१३--४८४४

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८४४--४८७५

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसातकरण विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८७५--४८७७

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपने और परिचालित करने के प्रस्ताव--असमाप्त ४८७७--४९०६

सोमवार, १० मई, १९५४

लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--सिंगरैनी कोयला खान, कोथागुडियम, हैदराबाद में दुर्घटना ४९०७--४९१०

समितियों के लिये चुनाव--

प्राक्कलन समिति ४९१०

लोक लेखा समिति ४९१०--४९११

लोक लेखा समिति में राज्यपरिषद् के सदस्यों का रखा जाना ४९११--४९१२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ४९१२

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४९१२—४९२५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राजयपरिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये के प्रस्ताव—असमाप्त ४९२५—४९४८

शान्ति के कामों के लिये अणुशक्ति का प्रयोग ४९४८—४९८२

मंगलवार, ११ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड का १९५३-५४ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५४-५५ का आय व्ययक प्राक्कलन, और १९५४—५५ के आय व्ययक प्राक्कलनों के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी ४९८३

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४९८३—४९८४

सदन का कार्य—

भाषणों के लिये समय सीमा ४९८४—४९८५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ४९८५—५०४४

बुधवार, १२ मई, १९५४

विशेषाधिकार प्रश्न ५०४५—५०५०

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

प्रशिक्षण तथा नियोजन सेवा संगठन समिति की रिपोर्ट ५०५०

राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणन जांच समिति की रिपोर्ट ५०५०

अनुदान की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में विवरण ५०५०—५०५१

प्राक्कलन समिति—सातवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—नवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—याचिकायें प्राप्त ५०५१—५०५२

रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर पर पुनर्विलोकन करने के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत ५०५२—५०५३

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ५०५३—५१०८

राज्य परिषद से सन्देश ५१०८

विशेष विवाह विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५११८

बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ५११९—५१११

न्यनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

पुस्तक प्रदाम (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

सुदूर पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में भारत सरकार द्वारा अपने अधिकारों तथा न्याय क्षेत्र के बारे में प्रेस विज्ञप्ति ५१११—५११२

अचल सम्पति अधिग्रह तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत अधिसूचना ५११७

भाग 'ग' राज्यों की सरकारें (संशोधन) विधेयक--याचिकायें उपस्थापित ५११७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--जापानी युद्ध अपराधियों के विषय में क्षमा-दान प्रबन्ध में पाकिस्तान का अविश्राम भारत के वैध उत्तराधिकारी के रूप में सम्मिलित किया जाना ५११२--५११७

विशेषाधिकार का प्रश्न ५११७—५१२३

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन—चर्चा असमाप्त ५१२३—५१७६

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--वापस लिया गया ५१७६—५१७७

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ५१७७

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव--स्वीकृत ५१७७--५१९५

शुक्रवार, १४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

१९५४-५५ के लिए अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त हुये कुछ ज्ञापनों के उत्तर देने वाले विवरण ५१९९

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका उपस्थापित ५१९९—५२००

४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ५२००

हाउस आफ पीपुल और पार्लियामेंट सेक्रेटेरियट का हिन्दी और अंग्रेजी में नामकरण ५२०१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक--पुरःस्थापित ५२०१—५२०२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक—संशोधित रूप में पारित ५२०२--५२५३

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में चर्चा ५२५३—५२६८

शनिवार, १५ मई, १९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में संकल्प—चर्चा असमाप्त ५२६९--५३५४

मंगलवार, १८ मई, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५३५५

राज्य परिषद् से संदेश ५३५५—५३५७

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५३५७—५३५८

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन ५३५८

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५८—५३५९

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५९

सहायक प्रादेशिक सेना विधेयक—पुरःस्थापित ५३५९—५३६०

अन्तर्राष्ट्रीय-स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत ५३६०—५४०९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४०९—५४१०

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४१०

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४११—५४१३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत ५४१३—५४५१

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५४५२—५४५४

बुधवार, १९ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५२—भाग १ ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग २—विस्तृत विनियोग लेखे ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के अवरुद्ध लेखे (जिसमें वे पूंजी-विवरण भी सम्मिलित है, जिनमें ऋण लेखे भी दिये हुये हैं), आयव्यय विवरण पत्र तथा हानि लाभ लेखे ५४५६

१९५१–५२ के रेलवे की कोयला खदानों के आयव्ययक विवरण पत्र तथा कोयले आदि की कुल लागत के विवरण ५४५६
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवेज़, १९५३ ५४५६
सामदायिक परियोजनाओं सम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन ५४५७
चलचित्र जांच समिति की सिपारिशें ५४५७
अनुदानों की मांगों (रेलवे) सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर ५४५७
विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों सम्बन्धी याचिकाएं ५४५७—५४५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—उड़ीसा में चावल का अतिरिक्त स्टाक ५४५८—५४६०
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ५४६०—५५०१
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त ५५०१—५५४६

बृहस्पतिवार, २० मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के एक अनुपूरक प्रश्न के दिये गये उत्तर को ठीक करने वाला वक्तव्य ५५४७—५५४८
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित ५५४८
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—परिषद् द्वारा पारित रूप में—असमाप्त ५५४८—५६१९
राज्य परिषद् से सन्देश ५६१९—५६२०

शुक्रवार, २१ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण ५६२१—५६२२
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत अधिसूचनायें ५६२३
दामोदर घाटी निगम के विषय में राव समिति का प्रतिवेदन ५७१३
राव समिति के प्रतिवेदन पर सरकार के विनिश्चय ५७१४
प्राक्कलन समिति के पंचम प्रतिवेदन की सिपारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण ५७१४

प्राक्कलन समिति—आठवें तथा नवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन ५६२३
याचिका समिति—तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन ५६२३
अनुपस्थिति की अनुमति ५६२४
केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के लिये ट्रेक्टर खरीदने सम्बन्धी वक्तव्य ५६२४—५६३३
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ५६३३—५६४५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४५—५६४६
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४६
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ—असमाप्त ५६४७—५७१२
राज्य परिषद् से सन्देश ५७१२

GIPD—HSD—918 LS—10-12-54—285

संसदीय वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शासकीय वृतान्त

लोक सभा

बुधवार, ५ मई, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९.१५ म० पू०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

चाय नियम, १९५४

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९ की उपधारा (३) के अन्तर्गत वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १०२६ दिनांक २५ मार्च, १९५४ में प्रकाशित चाय नियम, १९५४ की एक प्रति पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—१४१/५४].

विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाले विवरण

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं विभिन्न सत्रों में, जोकि प्रत्येक विवरण के सामने दिये हुए हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाले इन विवरणों को पटल पर रखता हूं :

(१) संचित विवरण — लोक-सभा का छटा सत्र, १९५४।

[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २१]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ५ — लोक-सभा का पांचवां सत्र, १९५३।

[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २२]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १० — लोक-सभा का चौथा सत्र, १९५३।

[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २३]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १५ — लोक-सभा का तीसरा सत्र १९५३।

[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २४]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १५ — लोक-सभा का दूसरा सत्र, १९५३।

[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २५]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या १६ — लोक-सभा का पहला सत्र, १९५२।

[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २६]

[श्री सत्यनारायण सिन्हा]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ७ — अस्थायी संसद् का पांचवां सत्र, १९५२ ।

[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २७]

८) अनुपूरक विवरण — अस्थायी संसद का चौथा सत्र, १९५१ ।

[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २८]

सागूदाने (टेपियोंका के दाने) और रेगमाल उद्योगों इत्यादि के संरक्षण के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत इन प्रपत्रों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं, अर्थात् :—

(१) सागूदाने (टेपियोका के दाने) पर संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन; **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस—१५०/५४]**

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या १२(७) टी० बी०/५३, दिनांक १ मई, १९५४; **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस—१५०/५४]**

(३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या १२(७)—टी० बी०/५३, दिनांक १ मई, १९५४; **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस—१५०/५४]**

(४) रेगमाल उद्योग पर संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन; **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस—१५१/५४]**

(५) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या १(१)—टी० बी०/५३, दिनांक १ मई, १९५४ **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस—१५१/५४]**

(६) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या १(१)—टी० बी०/५३, दिनांक १ मई, १९५४ ; **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस—१५१/५४]** और

(७) प्रशुल्क अधिनियम, १९५१ की धारा १६(२) के परादिक के अन्तर्गत विवरण, जिस में इस के कारण बताये हुए हैं कि उपरोक्त (४) से (६) तक में उल्लिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति नियत अवधि के अन्दर क्यों नहीं रखी जा सकी **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस—१५१/५४]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो सम्बन्धी समिति आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : मैं गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के आठवें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

चनपतिया तथा बेतिया के बीच रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि नियम २१५ के अन्तर्गत मुझे श्री विभूति मिश्र तथा श्री एस० एन० दास से पूर्वसूचनायें प्राप्त हुई

हैं जिन में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया गया है और उन से यह प्रार्थना की गई है कि वह इस विषय में एक वक्तव्य दें :—

(१) "२ मई, १९५४ को ८ प० म० बजे पूर्वोत्तर रेलवे पर चनपतिया तथा बेतिया के बीच ३४४ डाउन पैसेंजर गाड़ी का पटरी से उतर जाने के परिणाम-स्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और छै को चोटें लगीं।"—(श्री विभूति मिश्र)

(२) "बताया जाता है कि २ मई, १९५४ की रात्रि को पूर्वोत्तर रेलवे पर बेतिया और चनपतिया रेलवे स्टेशनों के बीच एक भयंकर रेल दुर्घटना हो गई जिस के परिणामस्वरूप कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कई यात्रियों को गहरी चोटें आईं।"—(श्री एस० एन० दास)

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मुझे सदन को यह सूचना देते हुए दुःख होता है कि २ मई, १९५४ को रात्रि के लगभग ८ बजे जब ३४४ डाउन पटना पैसेन्जर पूर्वोत्तर रेलवे के मुज़फ़्फ़रपुर–नरकटियागंज इकहरी लाइन वाले विभाग पर चनपतिया से बेतिया जा रही थी, तो एक छोटे से २० फुट स्पैन के पुल पर से गुजरते समय एक बहुत तेज़ आंधी गाड़ी से टकराई। उस के परिणामस्वरूप गाड़ी के छै आगे के डिब्बे जिन में इंजन से पिछला एक ब्रेक-वान भी था पटरी से उतर गये और उलट गये। इन में से एक द्वितीय श्रेणी तथा एक इंटर-व-तृतीय श्रेणी के डिब्बों को बहुत क्षति पहुंची। इंजन, पिछला ब्रेक-वान और उस से अगला एक तृतीय श्रेणी का डिब्बा लाइन पर रह गये। नवीनतम सूचना के अनुसार दो व्यक्ति मर गये, एक घटनास्थल पर और दूसरा चोटों के कारण चिकित्सालय में। चिकित्सालय में जो मरा था उसे मिला कर ६४ व्यक्तियों को चोटें पहुंची थीं।

दुर्घटना के तुरन्त पश्चात् अर्थात् लगभग २०-०५ बजे गाड़ी का ड्राइवर सात घायलों को ले कर इंजन को बेतिया ले गया, वहां उन्हें तत्काल चिकित्सालय में प्रविष्ट करा दिया गया। इंजन एक खुली गाड़ी को ले कर मोतिहारी के ज़िला मेजिस्ट्रेट तथा पुलिस सुपरिंटेंडेंट के साथ २२-०५ बजे दुर्घटनास्थल पर वापस लौट आया। ट्रक में अधिक शक्ति के लैम्प, भोजन तथा पीने का पानी भी लाया गया था। नरकटियागंज से रेलवे चिकित्सा सहायता गाड़ी रेलवे डाक्टरों के साथ २३-०५ बजे पहुंच गई। असैनिक अधिकारी चिकित्सा सम्बन्धी तथा अन्य सहायता ले कर पहले ही पहुंच गये थे। जिला मेजिस्ट्रेट इंजन के साथ ट्रक में २२ घायलों को ले कर ३-५-५४ को १-३० बजे दुर्घटनास्थल से बेतिया लौट आया। घायलों को जीपों तथा अन्य गाड़ियों में वहां से चिकित्सालय भेज दिया गया। नरकटियागंज और समस्तीपुर से डाक्टरों और समस्तीपुर के ज़िला अधिकारियों को ले कर चिकित्सा सहायता गाड़ियां क्रमशः २२-०० बजे तथा २२-०५ बजे रवाना हुईं। मरम्मत करने वाली गाड़ियां नरकटियागंज, समस्तीपुर और गोरखपुर से क्रमशः २२-३५, २३-०५ और २३-५० बजे रवाना हुईं। समस्तीपुर के रेलवे प्रशासन पदाधिकारी तथा ज़िला पदाधिकारी ३-५-१९५४ को २ और ४ बजे के बीच दुर्घटनास्थल पर पहुंच गये। बाद में प्रातः महाप्रबन्धक पहुंच गये। ३-५-१९५४ को लगभग १६-३० बजे लाइन साफ़ कर दी गई। घायलों को मलबे में से निकालने और उन का प्राथमिक उपचार करने और उन्हें बेतिया के चिकित्सालय में पहुंचाने के लिये तुरन्त कार्यवाही की गई थी। कुमार बाग

[श्री अलगेशन]

बेसिक स्कूल के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने भी सहायता की थी ।

घायलों में से २४ दुर्घटनास्थल पर या बेतिया के असैनिक चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार कराने के पश्चात् चले गये । शेष ४० को जिन में चार रेलवे कर्मचारी और छै सख्त घायल भी सम्मिलित हैं बेतिया के असैनिक चिकित्सालय में प्रविष्ट करा दिये गये हैं ।

स्थायी रेल मार्ग की लगभग २०० रुपये की क्षति हुई है । इंजन तथा डब्बों को हुई क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है । रेलवे के सरकारी निरीक्षक ने अधिसूचित किया है कि वह ४-५-१९५४ को बेतिया में अपनी जांच आरम्भ कर रहा है ।

सदस्य की दोषसिद्धि

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि मुझे मेजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पुरुलिया से यह संवाद प्राप्त हुआ है :

"पुरुलिया, २८ अप्रैल, १९५४.

श्रीमन्,

सदर सब-डिवीज़नल पदाधिकारी मानभूम के पत्र संख्या ८४, दिनांक २२-१-५४ के अनुसार मैं यह निवेदन करता हूं कि श्री भजहरि महाता, संसत्सदस्य की आज बिहार सार्वजनिक व्यवस्था संधारण अधिनियम, १९४९ की धारा ९ (५) के अन्तर्गत दोषसिद्धि हुई है और उन्हें छै मास का सादा कारावास दण्ड तथा ५०० रुपये का अर्थदण्ड अथवा अर्थदण्ड न देने पर तीन मास के और सादे कारावास का दण्ड दिया गया है । उन्हें कारागृह में भेज दिया गया है और श्रेणी १ में रखा गया है ।"

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

जारी

अध्यक्ष महोदय अब सदन परसों डा० काटजू द्वारा प्रस्तुत किये गये दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा ।

इस के साथ ही सदन श्री एस० वी० रामस्वामी द्वारा १२ मार्च, १९५४ को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर भी विचार करेगा, अर्थात् :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री एच० वी० पाटस्कर, श्री के० रघरामय्या, श्री टेक चन्द, श्री एन० सी० कासलीवाल, श्री मुकन्द लाल अग्रवाल, श्री ए० एम० टामस, श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री एन० सोमना, श्री आर० वेंकटारमन, श्री शंकर शान्ताराम मोरे, श्री कमल कुमार बसु, सरदार हुक्म सिंह, श्री के० एम० वल्लाथरास, डा० लंकासुन्दरम्, श्री मी० सी० बिस्वास तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनदेश दिया जाये ।"

श्री वेंकटारमन अपना संशोधन प्रस्तुत करें ।

श्री वेंकटारमन (तंजौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"प्रस्ताव में "and 16 members from the council" ("और परिषद् के १६ सदस्यों") के पश्चात् "with instruction to consider and report on the provisions contained in the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill 1952, by Shri S. V. Ramaswamy, M. P." ["श्री एस० वी० रामस्वामी संसद् सदस्य के दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५२ के उपबन्धों पर विचार करने और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के अनुदेश सहित"] जोड़ दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : श्रीमान् कल सदन के लगभग सभी भागों ने यह सुझाव दिया था कि वादविवाद का समय बढ़ा दिया जाये। आप का इस विषय में क्या निश्चय है ?

अध्यक्ष महोदय : हमें इस विधेयक की प्रगति तथा इस की आवश्यकताओं को देखना चाहिये। मैं ने इस विधेयक को बहुत महत्वपूर्ण समझ कर इस के इस सदन में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही माननीय गृह मंत्री को विशेष अनुमति दे कर गजट में प्रकाशित करा दिया था। इस विधेयक के सम्बन्ध में लोगों की सम्मतियां भी आ गई हैं जो सदस्यों को बांट दी जायेंगी। इस प्रकार यह विधेयक न केवल कार्यक्रम मंत्रणा समिति के समक्ष था, अपितु सारे देश के समक्ष था और कार्यक्रम मंत्रणा समिति ने ठीक ही इस अवस्था में वादविवाद को केवल विधेयक की महत्वपूर्ण बातों तक ही सीमित रखने के लिये इतना समय निश्चित किया है, कोई एतदर्थ अनुमान लगा कर समय निश्चित नहीं किया है। परन्तु यदि सदन समय बढ़ाना चाहता है तो एक प्रस्ताव रख कर ऐसा किया जा सकता है। किन्तु हमें सदन में यथासम्भव अधिक से अधिक कार्य की परम्परा को बनाये रखना चाहिये।

परन्तु सदन के समक्ष आगे चल कर आने वाले विधान सम्बन्धी कार्य के परिमाण को देखते हुए मेरा यह सुझाव है कि प्रवर समिति को अधिक बड़ा बना दिया जाये और प्रवर समिति में अच्छी प्रकार विचार हो चुकने पर उस प्रस्ताव पर सदन में पूरा वादविवाद हो। हाउस आफ कामन्स में भी यही प्रथा है। परन्तु इस का निश्चय करना माननीय सदस्यों का काम है।

अब हम अपने पूर्वनिश्चयानुसार कार्य करेंगे और यदि माननीय सदस्य समय बढ़ाना चाहेंगे तो एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर के जैसी सदन की इच्छा होगी वैसा कर लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचना देनी है कि गजट में प्रकाशित दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५३ की मूल प्रतिलिपि तथा गृह कार्य मंत्रालय से प्राप्त उस पर राज्य सरकारों इत्यादि के विचारों के सारांश (भाग १) की प्रतियां प्रकाशन विभाग के विक्रय स्थान से माननीय सदस्यों को मिल सकती हैं।

श्री बंसल : मुझे विश्वास है कि समय के बढ़ाने अथवा न बढ़ाने का निश्चय करते समय आप इस बात का ध्यान अवश्य रखेंगे कि प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री ने दो घंटे तथा अन्य दो भाषणकर्ताओं ने भी एक एक घंटा लिया है। यदि यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा तो मैं समझता हूं

[श्री बंसल]

कि केवल आधा दर्जन व्यक्ति ही बोल पायेंगे। मैं बोलने का इसलिये इच्छुक हूं क्योंकि मैं जन साधारण का देश में न्याय के प्रति क्या विचार है उस की व्याख्या करना चाहता हूं। यदि विधिजीवी सदस्यों को ही बोलने की आज्ञा आप देते रहे तो जनसाधारण के दृष्टिकोणों का विचार अछूता रह जायेगा। अतः मेरा यही निवेदन है कि इस वाद विवाद में सभी वर्गों के सदस्य भाग लें।

अध्यक्ष महोदय : अभी तक मेरे पास कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। इसलिये परामर्श देते हुए मैंने कहा था कि माननीय सदस्य स्वयं आपस में विचार कर के यह तै कर लें कि क्या प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिये ? मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री स्वयं ही ऐसा प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करेंगे और इस में सदन को सुविधा भी रहेगी क्योंकि उस समय समय का अपव्यय किये बिना बड़ी आसानी से काम चालू रखा जा सकता है। अन्यथा हम समय बढ़ाने के पचड़े में ही पड़े रहेंगे और इस में विधेयक के लिये जो समय निश्चित है वह समाप्त भी हो जायगा। इसलिये सब से अच्छा तरीका यह है कि आप लोग परामर्श कर लें और इस सम्बन्ध में सदन में एक प्रस्ताव रखें। अभी समय काफ़ी है——यदि आप चाहें तो दोपहर बाद सदन की बैठक हो सकती है। यह मामला तो सदन की स्वेच्छा पर ही निर्भर है।

लम्बे लम्बे भाषणों का उल्लेख किया गया है। माननीय मंत्री ने जब इतना महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है तो विधेयक का सम्बन्ध जिन बातों से है या विधेयक में जिन विभिन्न पहलुओं की व्यवस्था की गई है उन का प्रतिपादन उन्हों ने बड़े अच्छे ढंग से किया है, इन सब बातों के बताने में अधिक समय लगना तो स्वभाविक है। जैसा कि मैं ने कहा था यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जायगा और तदोपरांत सदन के समक्ष आयेगा। अतः इस समय विधेयक की केवल महत्वपूर्ण बातों पर ही चर्चा की जानी चाहिये क्योंकि सभी सदस्य बोलना चाहते हैं। किन्तु माननीय सदस्य स्वयं ही इस के बारे में निर्णय कर सकते हैं। कोई सदस्य कितना बोलते हैं, उन की इस स्वतंत्रता में मैं बाधक नहीं बनूंगा, किन्तु इस प्रकार अन्य सदस्यों के मार्ग में वे बाधक अवश्य होंगे।

माननीय सदस्य कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहते थे, किस के बारे में वह संशोधन था ?

श्री के० आर० शर्मा (ज़िला मेरठ—पश्चिम) : श्री रामा स्वामी की सूची में कुछ नाम ऐसे दिये गये हैं जिन का उल्लेख माननीय मंत्री जी की सूची में भी किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह संशोधन माननीय सदस्य ने आज प्रातः $8\frac{1}{2}$ बजे ही सदन में दिया है ; चूंकि इस की पूर्वसूचना नहीं दी थी अतः मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। इस प्रकार यह संशोधन समाप्त हो जाता है। यदि वह इस के बारे में इच्छुक हैं तो उन माननीय सदस्य से वह परामर्श कर लें जिन्हों ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये प्रारम्भ में प्रस्ताव किया था। यदि समझौते के आधार पर कोई बात तै होती है तो निश्चय ही उसे सदन में रखा जायगा ; और उस समय इस की सूचना सम्बन्धी शर्त को हटा देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री थानू पिल्ले (तिरुनेलवेली) : यहां प्रथा ऐसी रही है कि परामर्शदात्री समिति या प्रवर समिति के सदस्य वादविवाद में

भाग नहीं लेते हैं किन्तु कुछ अवसरों पर देखा गया है प्रवर समिति के सदस्यों ने वादविवाद में भाग लिया है। पहले भाषण करने वालों को तो काफ़ी समय दिया जाता है और बाद में बोलने वालों को केवल कुछ मिनट ही मिल पाते हैं। पीछे बैठने वालों को बोलने का समय नहीं मिल पाता है और उन से कहा जाता है कि वे प्रवर समिति को ज्ञापन दें। यदि प्रवर समिति को ज्ञापन ही देना है तो फिर यहां हमारे आने की क्या आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष के सामने भी तो कठिनाई है, समयाभाव के कारण सभी सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता है वादविवाद पर नियंत्रण रखने के लिये विषय का विभाजन करने तथा भाषण देने वालों का चयन करने के लिये सदस्यों को आपस में कोई संगठन करना चाहिये। अकेले अध्यक्ष द्वारा नियंत्रण संभव नहीं है। हो सकता है कि पीछे बैठने वालों में कुछ योग्य व्यक्ति हों, और उन्हें विधेयक के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी भी हो और संभव है कि मैं उन्हें न जानता हूं। ऐसे व्यक्तियों के नाम मैं जानना चाहता हूं और प्रयत्न करूंगा कि उन्हें भी बोलने का अवसर मिले। अतः दलों को चाहिये कि वे भाषण देने वाले सदस्यों का संगठन कर लें। और यदि ऐसा हो गया तो मुझे विश्वास है कि फिर भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें सुनने में नहीं आयेंगी। अब पंडित ठाकुर दास भार्गव बोलेंगे।

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : इस छपे हुए विधेयक में वर्तमान अधिनियम की तत्स्थानी धारायें नहीं हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, अतः मेरा सुझाव है कि माननीय गृह मंत्री सदस्यों के लाभार्थ उन्हें छपवा दें।

अध्यक्ष महोदय : इस की कठिनाइयां माननीय सदस्य को मैं बताऊंगा। सामान्यतः यह होता है कि जब किसी संशोधक विधेयक के द्वारा किसी अधिनियम विशेष की कुछ धाराओं में ही संशोधन किया जाता है तो उन धाराओं को छपवा कर मूल विधेयक के साथ सदस्यों को भेज दिया जाता है किन्तु इस विधेयक के सम्बन्ध में जिस के द्वारा बहुत सी धाराओं में संशोधन करने का विचार है, ऐसा करना सम्भव नहीं था। इसलिये विशेष प्रबन्ध किया गया, और विधि-विभाग से दंड प्रक्रिया संहिता की बहुत सी प्रतियां ला कर पुस्तकालय में रख दी गई हैं, और तीन चार दिन हुए तब संसदीय बुलेटिन द्वारा इस की सूचना सदस्यों में प्रसारित कर दी गई है। अतः मेरे विचार से माननीय सदस्य के प्रश्न का पूरा उत्तर दे दिया गया है। विधेयक के सम्बन्ध में उन्हों ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। संशोधन प्रस्तुत करने एवं उस की सूचना देने के उपरान्त उन्होंने प्रवर समिति का सदस्य होना स्वीकार कर लिया है उनका संशोधन सदन के समक्ष है, मैं तो नहीं समझता कि इस के बारे में वे अब आग्रह करेंगे। प्रवर समिति में उन्हें बोलने का काफ़ी अवसर मिलेगा।

श्री वल्लाथरास: पं० ठाकुर दास भार्गव के साथ भी यही कठिनाई है क्योंकि उन्होंने भी विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये मेरे जैसा ही संशोधन रखा है, और वे प्रवर समिति के भी सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रवर समिति के सदस्य नहीं हैं। परम्परा के सम्बन्ध में बोलते हुए परसों मैंने कहा था कि किसी भी सदस्य को बिना उस की स्वीकृति के प्रवर समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है। स्वीकृति देने से पूर्व माननीय सदस्य को यह बताना होता है कि क्या वह प्रवर समिति का सदस्य होना चाहते हैं अथवा विधेयक के बारे में यहां बोलना चाहते हैं। माननीय

[अध्यक्ष महोदय]

सदस्य श्री वल्लाथरास ने उस दिन अपनी स्वीकृति प्रवर समिति का सदस्य होने के लिये दी थी अतः उन के बोलने का प्रश्न नहीं उठता ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सदन यह अच्छी तरह जानता है कि यह विधेयक कोई मामूली विधेयक नहीं है । अकेले इस विधेयक में लगभग ६० विधेयक सम्मिलित हैं, उसी दृष्टि से इस विधेयक के लिये समय मिलना चाहिये । सदन को चाहिये कि वह इस विधेयक के लिये अधिक समय की व्यवस्था करे ।

दंड प्रक्रिया सहिता की धारा १६(३) में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि सब-इन्सपेक्टर चाहे तो वह गवाहों के बयान अलग काग़ज़ों पर ले सकता है ; माननीय मंत्री जी के विचारार्थ मैंने यह निवेदन किया था कि वह इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था करें कि गवाहों के बयान जिन काग़ज़ों पर लिये जायें उन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भी गड़बड़ी न होने दी जाये । चूंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अतः फिर से यही बात मैं दुहराता हूं ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १६२ हटाई जा रही है । इस धारा की उपलक्षणाओं को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिये । सफ़ाई के मामले में अभियुक्त को जो अधिकार दिये गये हैं धारा १६२ उन का आधार है । आजकल साधारणतः इन बयानों का उपयोग गवाहों की शहादतों में परस्पर बिरोधी बातें बताने के लिये किया जाता है । प्रत्येक सुनवाई के लिये गवाहों के ये बयान अब पुलिस के लिये बड़े महत्व के हैं । अपने अनुभवों के आधार पर मैं माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि धारा १६२ के उपबन्धों के अन्तर्गत धारा १६१(३) में जिन बयानों की व्यवस्था की गई है केवल वे बयान ही नहीं अपितु अन्य बयानों की प्रतिलिपियां भी दी जानी हैं ।

सन् १९२३ में इस विधि में परिवर्तन कर दिया गया था । माननीय मंत्री को मैं यह आश्वासन देता हूं कि अब इस विधान के द्वारा यह निश्चित हो गया है कि प्रत्येक बयान की चाहे वह डायरी में हो अथवा न हो, एक प्रतिलिपि दी जानी चाहिये ।

धारा १६२ को हटा कर और उसे खंड २३ के साथ मिला कर अपराधी के उस महत्वपूर्ण अधिकार को आप छीन रहे हैं जिस का कि वह आज तक अधिकारी रहा है । यदि यह हो गया तो इस से अपराधी की बहुत बड़ी हानि होगी । जहां उन्होंने धारा १६१ के उपखंड (३) के अन्तर्गत बयानों को सम्मिलित किया है वहां धारा १६२ के अधीन सभी विवरणों को भी सम्मिलित कर लेना चाहिये । अभियुक्त का अधिकार उस से नहीं छीना जाना चाहिये । यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है ।

खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रकटतः यह विधेयक उच्च कोटि के विधिजीवियों द्वारा तैयार किया गया है किन्तु ऐसा मालूम होता है कि उन्हें प्रारम्भिक न्यायालयों का भी ज्ञान नहीं है ।

धारा १६४ के अनुसार ये बयान कभी भी पुलिस के पास नहीं रहते हैं । किसी पुलिस अधिकारी के पास उन्हें भेजना अनियमित है । इस धारा के अनुसार बयान लेने वाले दंडाधिकारी को ये बयान उस न्यायालय को भेज देने चाहियें जिस में उस अभियोग की सुनवाई हो । वस्तुतः तो पुलिस सब-

इन्सपेक्टर को इन तथ्यों को जानना ही नहीं चाहिये। ये बयान गुप्त होते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति न्यायालय में तो कोई भी बयान दे सकता है किन्तु संभव है कि पुलिस अधिकारी के दबाव में आ कर जो कुछ वह स्वतंत्र रूप से कहना चाहता है उसे न कह कर उस के विपरीत कह दे।

धारा १६२ के उपबन्धों के अनुसार इन को अभियोक्ता पक्ष के गवाहों के बयानों का केवल विरोध करने के लिये ही काम में लाया जाता है। इस प्रकार पुलिस ऐसे मामलों में काफ़ी धांधली करती है।

मैं ने कहा है कि इन बयानों का प्रयोग केवल अभियोक्ता पक्ष के गवाहों के बयानों का विरोध करने के लिये होता है। आपने अभियुक्त को यह अधिकार दिया है कि वह अपनी सफाई के लिये स्वयं साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकता है। यदि यह उपबन्ध कर दिया जाता है कि ऐसे बयान (ज़िमनी) अभियुक्त के विरुद्ध काम में लाये जा सकते हैं तो साक्षी के रूप में प्रस्तुत होने पर इस प्रकार का उपबन्ध निश्चित रूप से अभियुक्त के विरुद्ध काम में लाया जायगा। अतः मेरा निवेदन है कि धारा १६२ को ज्यों का त्यों रहने दिया जाय। या इस के स्थान पर कुछ ऐसे उपबन्ध बना दिये जायें कि धारा १६१ (३) के अन्तर्गत लिये गये बयान अथवा डायरी में लिखे हुए बयानों का प्रयोग बचाव पक्ष के गवाहों का विरोध करने के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिये नहीं किया जायगा।

धारा १६२ को जिन नियमों को ध्यान में रख कर बनाया गया है वे बहुत ही आवश्यक हैं। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जो कुछ कर रहे हैं वह बहुत ही अच्छी भावना से कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य तो यह है कि उनको ज़िला न्यायालयों का कोई अनुभव नहीं है। इंगलैण्ड या अमरीका में क्या होता है वह तो मैं जानता नहीं हूं परन्तु अपने देश में तो हम वर्षों से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि पुलिस के सामने दिये जाने वाले अपराध स्वीकृति के सभी बयान अप्रासंगिक समझे जाते हैं। पुलिस के सामने दिया जाने वाला कोई भी बयान अपराधी के विरुद्ध काम में नहीं लाया जा सकता है इसलिये मेरा सुझाव है कि जहां तक हो सके अच्छा यही होगा कि प्रवर समिति या तो धारा १६२ का निरसन करने से इन्कार कर दे या कुछ ऐसे उपबन्ध बनाये जिन में वही नियम हों जिन के अन्तर्गत यह धारा १६२ बनाई गई है।

धारा १६४ के सम्बन्ध में न्यायालय एक स्वर से यह कहते रहे हैं कि ऐसे बयानों को अभियोग पक्ष के कथन की पुष्टि के लिये काम में नहीं लाया जा सकता है इन का इस्तेमाल तो केवल प्रतिवाद करने के लिये ही किया जा सकता है।

दो दिन पूर्व, माननीय गृह-कार्य मंत्री हमें बता चुके हैं कि ७५ प्रतिशत अभियोग असफल हुए शेष में से जितने व्यक्तियों को अपराधी घोषित किया गया उन में से एक तिहाई उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय से छोड़ दिये गये। इस प्रकार उन के अनुसार ८३ प्रतिशत अभियुक्त छूट गये। यह ठीक है। मैं भी चाहता हूं कि हत्या इत्यादि के अपराधियों को विधिपूर्वक तथा ईमानदारी के साथ दण्ड दिया जाये। मेरा विचार तो यह है कि अब जो विधि बनाई जा रही है उस से तो यह १७ प्रतिशत भी जिन को अभी दण्ड मिलता है, छूट जाया करेंगे। यदि आप देश में न्याय तथा सच्चाई का वातावरण फैलाना चाहते हैं तो आप को चाहिये कि पुलिस अधिकारियों तथा वकीलों में जो कमियां हैं उन को दूर करें। जब तक आप इन का सुधार नहीं करेंगे कोई सुधार नहीं हो सकता है। धारा १६४

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

के बयानों की नक़लें दी जाया करेंगी यह बात माननीय मंत्री ने बार बार कही है। प्रत्येक न्यायालय ने १६४ के अन्तर्गत दिये गये बयानों की निंदा की है। इस का अर्थ होगा कि आप गवाहों को बयान सिखाने तथा झूठे बयान तय्यार कराने का एक स्कूल खोल देंगे। तब क्या होगा ? संभवतः कोई और संशोधन विधेयक आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या धारा १६४ के अन्तर्गत दिये गये बयानों की प्रतिलिपियां आजकल उपलब्ध नहीं होती हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : होती क्यों नहीं हैं। परन्तु यह तो आप स्वयं अपने अनुभव से जानते हैं कि यह बयान जब ऊंचे न्यायालयों के सामने जाते हैं तो ऊंचे न्यायालय इन को विश्वास के योग्य नहीं समझते हैं। वे समझते हैं कि यह बयान अनुचित रूप से दबाव डाल कर प्राप्त किये गये हैं। यदि आप न्यायालय के सामने स्वतन्त्रतापूर्वक बयान दें तथा उसी पर दृढ़ता से जमे रहना चाहें तो नयी प्रस्तावित धारा '४८५क', के द्वारा न्यायालय को इतना अधिकार दिया गया है कि वह आप से कह सकता है कि, 'अब आप एक महीने के लिये और जेल जाइये'। इस का अर्थ यह है कि प्रस्तावित धारा '४८५ क' का उपयोग इस बात के लिये किया जायेगा कि लोगों को उस कथन से बांधा जाये जो उन्होंने धारा १६४ के आधीन दिया है। इस प्रकार जो १७ प्रतिशत अभियोग अब सफल होते हैं वह भी नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ऐसे मामले नहीं होते हैं जबकि जल्दी से जल्दी दंडाधिकारी के सामने गवाह पेश कर दिये जाते हैं और उन पर किसी प्रकार का प्रभाव न होने के कारण वे सच्चे बयान देते हैं तथा बाद में उन को इस बात का प्रलोभन दे कर बयान बदलने के लिये प्रेरित किया जाता है। इसलिये धारा १६५ का कुछ महत्व अवश्य समझा जाना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि शीघ्रातिशीघ्र सब से पहला बयान दण्डाधिकारी के सामने ही दिया गया हो तब तो ठीक है। परन्तु होता यह है कि १५, २० दिन के पश्चात् पुलिस गवाह को दण्डाधिकारी के सामने उपस्थित करती है तथा उस का अपराध स्वीकृति का बयान करवाती है। मेरा मतलब यह नहीं है कि सदा ही धारा १६४ के अन्तर्गत दिय गये बयान् ऐसे होते हैं कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। सारी कठिनाई तो यह है कि जहां पुलिस का हाथ आ जाता है न्यायालय विश्वास नहीं करते हैं। यदि यह सारे संशोधन स्वीकार कर लिये गये तो मुझे पूरा विश्वास है कि उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। केवल मेरा ही विचार ऐसा नहीं है। माननीय न्यायाधीशों का भी यही मत है। इसलिये जहां तक इस खण्ड का सम्बन्ध है अच्छा यह होगा कि प्रवर समिति इस खण्ड को अस्वीकार करे तथा यह निर्णय करे कि धारा १६२ ज्यों की त्यों बनी रहने दी जाये।

अब मैं धारा २०७ को लूंगा। यदि निजी शिकायतों के लिये इस धारा को रहने दिया गया तो बहुत बुरा होगा। माननीय मंत्री का विचार है कि पुलिस द्वारा चलाये जाने वाले अभियोगों के समान निजी अभियोगों का भी क़ानून की निगाह में उतना ही महत्व है, इसलिये उन्होंने निजी शिकायतों के लिये भी दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील (पुनरावेदन) करने का उपबन्ध किया है।

सत्र-न्यायालय के सिपुर्द किये जाने के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जैसे ही कोई

अभियोग तय्यार हो जावे उसे सत्र-न्यायालय के सामने सुनवाई के लिये भेज दिया जाये। मेरा विचार है कि इस में किसी भी दंडाधिकारी को यह अधिकार देना कि पहले सारे बयान उस के सामने दिये जायें और वह कुछ निर्णय करे कि क़ानून की सारी औपचारिकतायें पूरी हो चकी हैं या नहीं बिल्कुल बेकार है।

सेशंस अभियोग, वारेंट अभियोग, तथा समंस अभियोग में बहुत अन्तर हैं। सेशंस अभियोग में अभियुक्त से सफ़ाई उस समय मांगी जाती है जबकि सारा अभियोग संबंधी साक्ष्य समाप्त हो चकता है। वारेंट अभियोग में सारे अभियोग सम्बन्धी साक्ष्य हो जाने के बाद ही अभियुक्त का बयान लिया जाता है। परन्तु समंस अभियोग में जैसे ही अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होता है उससे न्यायालय प्रश्न करता है कि 'क्या तुम कोई कारण बता सकते हो कि तुम को दण्ड क्यों न दिया जाये ?' माननीय गृहकार्य मंत्री ने खण्ड १८ में जो उपबन्ध किया है वह सब से विचित्र है। उन का कहना है कि जैसे ही काग़ज़ात तय्यार हो जायें तथा न्यायालय काम करने के लिये तय्यार हो अभियुक्त को पेश किया जाये तथा उस का बयान लिख लिया जावे। ऐसे अवसर पर अभियुक्त से कहना कि वह अपनी सफ़ाई का बयान दे बहुत ही आपत्तिजनक है। इस का परिणाम यह होगा कि बाद में अभियोग साक्षी कोई घटना घड़ लेंगे और उसे फंसा देंगे। हम जानते हैं कि वारेंट अभियोग तक में धारा २५२ के अनुसार जब सारा अभियोग साक्ष्य समाप्त हो जाता है तब अभियुक्त का बयान लिया जाता है। वह जानता है कि अभियोक्ता पक्ष का कथन क्या है। उस को इस की आवश्यकता नहीं है कि पहले वह अनुमान करे कि अभियोक्ता पक्ष का साक्ष्य क्या होगा और तब अपना बयान दे सकता है और हो सकता है कि जो साक्ष्य उस के बाद प्रस्तुत किया जाये उस की दृष्टि से वह आवश्यक हो ही, न

इसी प्रकार धारा ३४२ में संशोधन किया जा रहा है कि इस धारा के अन्तर्गत अभियुक्त का बयान लेने में अभियुक्त से जिरह भी की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभियुक्त को इस के लिये विवश नहीं किया जा सकता है। बयान देना उस की इच्छा पर निर्भर है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि अभियुक्त से कोई प्रश्न पूछा जाये और वह कोई उत्तर न दे कर चुपचाप खड़ा रहे तो वह तो ऐसा कर तो सकता है परन्तु न्यायालय भी उस के इस व्यवहार का जैसा उचित समझे अर्थ लगा सकता है।

मैं कहना यह चाहता हूं कि अभी तक कानून यही रहा है कि सेशंस अभियोगों में तथा वारेंट अभियोगों में अभियुक्त से प्रश्न तभी पूछे जाते हैं जबकि वह अभियोक्ता-पक्ष-साक्ष्य सुन चुकता है तथा उस से केवल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिन के द्वारा उसे उन आरोपों की सफाई देने का अवसर मिल सके जो उस के विरुद्ध अभियोग कथन में लगाये गये हैं। अन्य बातों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूछना या अभियुक्त से किसी प्रकार की जिरह करना, इन सब बातों को सदा ही निंदनीय व्यवहार ठहराया गया है। परन्तु इस प्रकार अभियुक्त से जिरह करने का एक बहुत ही चतुर ढंग निकाला गया है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के उपबन्धों को कोई भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिये।

प्रस्तावित धारा २०७ क की उपधारा (५) के अनुसार जैसे ही अभियुक्त को काग़ज़ात की नक़लें प्राप्त हो जायें उस से कहा जायगा कि वह मौखिक रूप से

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अथवा लिखित रूप से ऐसे व्यक्तियों की एक गवाह सूची पेश करे जिन को वह अभियोग चलने पर अपनी सफ़ाई में पेश करना चाहता है । अभी तक तो क़ानून यह था, सत्र सिपुर्द करने के सारे साक्ष्य के पेश हो जाने के बाद ही अभियुक्त से गवाहसूची मांगी जाती थी । कभी कभी तो सत्र न्यायालय तक में उसे अनुपूरक सूची देने का अधिकार दिया जाता था । परन्तु मेजिस्ट्रेट के सामने जाते ही न तो वह साक्षियों के बयान सुनेगा और न उन से जिरह कर सकेगा परन्तु उसे तुरन्त ही गवाह सूची देनी पड़ेगी ।

मुझे तो आश्चर्य है कि अभियुक्त इस नियम का पालन करने में किस प्रकार समर्थ हो सकेगा । इस सम्बन्ध में एक परन्तुक लगा कर मेजिस्ट्रेट (दंडाधिकारी) को इतना अधिकार दिया गया है कि वह अपने स्वविवेक का प्रयोग कर के अभियुक्त को आगे चल कर एक और गवाह सूची पेश करने का अधिकार भी दे सकता है । इतनी माननीय मंत्री की विशेष कृपा अवश्य हुई है । मेरा कहना है कि यह उचित नहीं है । सफ़ाई पेश करने से पहले उसे गवाह सूची पेश करने का अधिकार दिया जाना चाहिये । उदाहरण के लिये अभियोक्ता पत्र के साक्षियों से जिरह करने पर उसे पता चलता है कि कौन कौन से व्यक्ति उस समय घटना स्थल पर उपस्थित थे । उन लोगों के नाम वह पहले ही से कैसे बता सकता है ? इस का एक और परिणाम यह होगा कि अभियोक्ता पत्र के साक्षियों को गवाह सूची पहले से मालूम हो जायेगी और वे इन लोगों के घटनास्थल पर उपस्थित होने की बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे । इस प्रकार अभियक्त को सफ़ाई पेश करने में एक और अड़चन होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मान लीजिये कि हत्या के अभियोग में मेजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) अपने ऊपर कोई दायित्व भार लेने के बजाय यही अच्छा समझे कि सारे काग़ज़ात सत्र न्यायालय के पास भेज दें । यदि यह सारी कार्यवाही बेकार तथा समय का दुरुपयोग समझी जाये तो दूसरा रास्ता क्या है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस के अनेक ढंग हो सकते हैं । १९४३-४९ में पंजाब में सत्र सिपुर्द करने की कार्यवाही नहीं होती थी । अभियोग सीधे सत्र न्यायालय के पास भेज दिये जाते थे । मैं जानता हूं कि कहीं कहीं राजकीय अभियोग संचालक भी होते हैं ।

जहां तक जूरी प्रणाली का सम्बन्ध है मैं अधिक नहीं कह सकता हूं क्योंकि पंजाब में यह प्रणाली प्रचलित नहीं है । परन्तु मैं अपने देश के लोगों को भली भांति जानता हूं । उन में ठण्डे दिमाग़ से सोचने का सामर्थ्य नहीं है । मैं बंगाल या आसाम के सम्बन्ध में नहीं कहता हूं जहां यह प्रणाली बहुत समय से चल रही है । मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आप इस का नया प्रयोग करना चाहते हैं पहले कम से कम दस साल तक अपने हाथ रोके रहिये । ऐसा उपबन्ध बनाने में माननीय मंत्री ने निश्चय ही ठीक कार्य किया है ।

डा० काटजू : जहां तक जूरी का सम्बन्ध है, विधि को पूर्णतः एक ओर रख दिया गया है । राज्य सरकारें चाहें तो इसे लागू कर सकती हैं, वरन नहीं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं गृह-कार्य मंत्री को इस बात का दोष नहीं देता हूं कि उन्होंने इस उपबन्ध को राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं किया है । मैं जूरी प्रणाली के विरुद्ध

नहीं हूं। मैं केवल यह चाहता हूं कि जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, इस प्रणाली को वहां आगामी दस वर्षों तक शुरू नहीं करना चाहिये।

डा० काटजू : मैं इसे शुरू नहीं कर रहा हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे माननीय मित्र मदिरा निषेध की बात पर हंसते हैं, परन्तु यदि माननीय मंत्री लोगों को सत्य-प्रिय बनाना चाहते हैं तो नशे की लानत को तुरन्त ही समाप्त किया जाय। अकेली मदिरा ही अनेक अपराधों का कारण है।

जहां तक जूरी तथा असेसरों का सम्बन्ध है, मैं मंत्री महोदय से पूर्णतः सहमत हूं कि इस प्रणाली को तत्काल समाप्त किया जाय। हम जानते हैं कि असेसर लोग भ्रष्ट हो चुके हैं।

अब मैं वारंट वाले मामलों को लेता हूं। धारा २५२ की उपधारा (२) के स्थान पर अब एक नई उपधारा रखी गई है जिसके अनुसार अभियुक्त किसी दस्तावेज़ की मांग कर सकता है। धारा २५२ में पहले यह उपबन्ध था कि मैजिस्ट्रेट प्रार्थी से पूछ कर जिन गवाहों को आवश्यक समझता था उन्हें गवाही के लिए बुला सकता था। परन्तु अब निर्देश केवल दस्तावेज़ की ओर है। बिना गवाहों के मुकद्दमा कैसे चल सकता है? मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इस उपबन्ध को संविधि-पुस्तक में रहने दे।

खण्ड ३७ में भी अब विचित्र परिवर्तन करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें अभियुक्त की इच्छा पर अभियोक्ता पत्र के किसी भी गवाह को पुनः बुलाया जा सकता है तथा उससे पुनः जिरह की जा सकती है जिसे बाद को अभियुक्त अपने पक्ष में पेश कर सकता है। अब तक तो यह होता आया है कि प्रार्थी के साक्ष्य पर दोषारोप निश्चित कर दिये जाते थे तथा अभियुक्त को उसी समय अभियोक्ता से जिरह करने का अवसर दे दिया जाता था। परन्तु अब यह होगा कि गवाहों से अग्रेतर जिरह हो सकेगी। इसका परिणाम यह होगा कि अभियोक्ता प्रत्येक मामले में हारा करेगा। इस प्रस्तावित उपबन्ध का प्रभाव यह होगा कि अभियोक्ता के कोई और गवाह नहीं बुलाये जा सकेंगे तथा दोषारोपों के निश्चित होने से पहले के गवाहों पर ही निर्भर किया जायगा। यदि अभियोक्ता की पूरी गवाही न ली गई तो इस से अभियोक्ता तथा पुलिस को बहुत शिकायत होगी। प्रवर समिति से मेरी प्रार्थना है कि वह इन सब प्रश्नों की विस्तार से जांच पड़ताल करे, वरन् सारी प्रणाली एकदम काम करना बन्द कर देगी। धारा २५६ के संगत भाग में ये शब्द नहीं हैं। क्या इन्हें जान बूझ कर छोड़ा गया है या ये भूलवश रह गये हैं। मेरी प्रवर समिति से प्रार्थना है कि वह इन शब्दों को इस धारा में रखे जिससे पूर्ण साक्ष्य मिल सके।

कल मैंने कहा था कि जिरह का अधिकार एक बहुत मूलभूत तथा कीमती अधिकार है जो प्रत्येक अभियुक्त को मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आजकल के व्यवहारानुसार मेजिस्ट्रेट दोषारोप को सीधे ही निश्चित कर देता है तथा इसके बाद दूसरे गवाहों से जिरह की जाती है। क्या यह स्वयं अभियुक्त के हित में नहीं है कि वह प्रार्थी तथा अन्त में अग्रेतर साक्ष्य तक ही सीमित रहे?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : धारा २५४ के अन्तर्गत जब न्यायालय को निश्चय हो जाता है कि एक प्रत्यक्ष मामला विद्यमान है तो अभियुक्त का दोषारोप निश्चित किया जा सकता है। परन्तु सभी न्यायालय इसी तरह के नहीं हैं। कई न्यायालय जिरह नहीं चाहते हैं, परन्तु कई दूसरे न्यायालय दोषारोप के बारे में विश्वस्त होना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब जबकि कुछ और गवाहों से जिरह की गुंजाइश नहीं रहेगी तो क्या न्यायालय अधिक सावधान नहीं हो जायेंगे?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आजकल अभियुक्त को गवाह से तत्काल जिरह करनी पड़ जाती है तथा बाद में जिरह करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। माननीय मंत्री ने अब न्यायालय को यह अधिकार देने का प्रस्ताव किया है कि वह अभियुक्त को बाद में जिरह करने की अनुमति दे दे। खण्ड ३७ के अनुसार मेजिस्ट्रेट न्याय के हित में कुछ गवाहों से अग्रेतर जिरह किये जाने की अनुमति दे सकेगा। मैं यही चाहता हूं कि अभियुक्त को जिरह का पूरा अधिकार प्राप्त रहे। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने इस अधिकार के प्रयोग के तीन अवसर बताये हैं; पहला अवसर है जबकि धारा २५२ के अन्तर्गत साक्ष्य लिया जाता है; दूसरा अवसर उस समय मिलता है जब धारा २५६ के अन्तर्गत दोषारोप निश्चित होने के बाद गवाह बुलाये जाते हैं तथा तीसरा अवसर धारा २५७ के अन्तर्गत मिलता है। परन्तु धारा २५७ के अन्तर्गत इस अवसर का केवल कभी कभी प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इस धारा के अन्तर्गत मेजिस्ट्रेट के लिए किसी गवाह का बुलाना अनिवार्य नहीं है। वास्तविक अवसर धारा २५६ के अन्तर्गत मिलता है। माननीय मंत्री इस धारा को भी स्वविवेक का मामला बनाना चाहते हैं। मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वह अभियुक्त से इस कीमती अधिकार को छीनने का प्रयत्न न करें। प्रथम तो आप यह कह रहे हैं कि वारंट वाले मामलों को सम्मन के मामले बना रहे हैं। इससे मामलों की एक बहुत बड़ी संख्या सम्मन वाले मामलों में बदल जायेंगी। इससे न्याय की सम्भावनायें कम हो जायेंगी। यह एक प्रतिगामी उपाय है। हमारा देश एक विधि-पालक देश है। इसमें लोगों की दोषसिद्धि से बचने की भावना को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। इस संशोधन का प्रभाव यह होगा कि कोई भी व्यक्ति बड़ी सरलता से दोषसिद्ध हो सकेगा। मैं मानता हूं कि विधेयक का उद्देश्य बहुत श्रेष्ठ है। परन्तु मैं अपनी आलोचना में इतना समय केवल इस विचार से ले रहा हूं ताकि हमारे न्यायालयों से भ्रष्टाचार दूर हो तथा वहां न्याय हो। आज हमें न्यायालयों की वास्तविक स्थिति से मुंह नहीं मोड़ लेना चाहिये। मैं जानता हूं कि हमारे विधिजीवी संघ आज कूट-साक्ष्य के केन्द्र हैं.

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। माननीय सदस्य के लिए सदन में इतने सख्त आक्षेप करना उचित नहीं है। वह अपने वक्तव्य पर कृपया पुनः विचार करें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं आपके निर्णय को स्वीकार करता हूं। आप चाहें तो मेरी टिप्पणी को शासकीय वृत्तान्त से निकाल सकते हैं। मैं नहीं चाहता था कि मेरी टिप्पणी को इस भावना से लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के प्रति पूरे सम्मान से मैं यह कहना चाहता हूं कि विधिजीवी संघों पर इतने सख्त आक्षेप करने का यह कोई अवसर नहीं था। ठीक है कि गवाह पहले से सिखाये जाते हैं परन्तु सिखाने का स्थान विधिजीवी संघ नहीं हैं भारत के इस श्रेष्ठ पेशे के बारे में इतनी सख्त टिप्पणी करना ठीक नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा आशय तो केवल यह था कि सत्यप्रिय जनता के लिए उचित प्रकार का वातावरण पैदा किया जाय। मैं किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। आज हम जानते हैं कि मौखिक कूट-साक्ष्य के बिना कोई मुकद्दमा नहीं जीता जा सकता है।

डा० काटजू : आपने यह और भी बुरी टिप्पणी कर दी है।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ--दक्षिण) : श्रीमान्, क्या विधिजीवी संघों के बारे में उनकी टिप्पणी को शासकीय वृत्तांत से निकाल दिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने किसी टिप्पणी के शासकीय वृतान्त से निकाले जाने का आदेश नहीं दिया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि माननीय सदस्यों को मेरी बात अच्छी न लगी तो वह इसे शासकीय वृत्तान्त में से निकाल सकते हैं । मुझे इस पर बिल्कुल आपत्ति नहीं है । मैंने यह नहीं कहा है कि गवाहों को कूट-साक्ष्य के लिये विधिजीवी संघों में सिखाया जाता है यह एक सचाई है कि गवाह वकील से आकर पूछते हैं कि उन्हें क्या कहना होगा । मैं झूठ कहने को तैयार नहीं हूं तथा उन बातों का छिपाना मेरे लिए कठिन है जो मैंने अपने जीवन में देखी हैं । मैंने मेरठ तथा उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में वकालत की है तथा मैं वहां की हालत को जानता हूं ।

पंडित के० सी० शर्मा : मैं शपथ लेकर कह सकता हूं कि मैंने किसी गवाह को आज तक नहीं सिखाया है । मैं उनकी बात का घोर विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी इस सदन से तथा इसके वकील सदस्यों से अपील है कि वह इन बातों को वैयक्तिक आक्षेप न समझें । माननीय वक्ता भी अब कृपया दूसरे पहलुओं पर बोलें । उनकी इस बात से रोष फैल रहा है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने किसी सदस्य विशेष पर कूट-साक्ष्य सम्बन्धी आक्षेप नहीं किया है । अस्तु !

मेरे माननीय मित्र ने पूछा है कि आप सत्य का वातावरण कैसे पैदा करेंगे ? इस मामले का मूल सम्बन्ध पुलिस तथा वकीलों से है । यदि इन दो प्रणालियों में सुधार नहीं होगा तो सत्य तथा न्याय का वातावरण पैदा नहीं हो सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिये साक्ष्य अधिनियम उत्तरदायी है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : न केवल साक्ष्य अधिनियम ही नहीं अपितु दण्ड संहिता उत्तरदायी है । धारा ३०२ में केवल दो दण्ड रखे गये हैं । १६ वर्ष के एक बालक को आजीवन काले पानी की सजा दी गई थी, क्योंकि उसने ऐसे व्यक्ति को मार दिया था, जिसने खुले आम उसकी बहन के साथ बलात्कार किया था । कई मामलों में लोगों को दूसरे लोगों को मार देने का ठीक कारण होता है और विधि केवल दो दण्डों का ही उपबन्ध करती है । किन्तु कई धारायें ऐसी हैं, जिनमें अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की प्रणाली अपनाई जाती है ।

खण्ड ३७ के सम्बन्ध में, मेजिस्ट्रेट को प्रबन्ध करना चाहिये कि अभियुक्त को जिरह करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिये । खण्ड ३८, धारा २५७ के विषय में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं । खण्ड २ के बारे में, समन मामलों के क्षेत्र का विस्तार करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से ठीक सुनवाई नहीं हो सकेगी ।

वयोवृद्ध अवैतनिक मेजिस्ट्रेटों को जनता नहीं चाहती है और अनुभव यह बतलाता है कि वैतनिक मेजिस्ट्रेट अवैतनिक मेजिस्ट्रेटों से कहीं अच्छे होते हैं । इसलिये राजनैतिक प्रभाव रखने के कारण राज्य सरकारों के ऊपर इस प्रकार की मान्यता देने का अधिकार दिये जाने के मैं पक्ष में नहीं हूं और मैं इस प्रणाली का विरोध करता हूं ।

धारा ३० पंजाब के लिये उपयोगी है किन्तु मुख्य टिप्पणी गलत और भ्रामक है जिसे बदल देना चाहिये । धारा ८ में ५०० रुपये के जुर्माने की बजाये, जुर्माना, ४००

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये, क्योंकि लोगों के पास धन की कमी है।

खण्ड ११ में शब्द "और" युक्तियुक्त नहीं तथा खण्ड १३ में "रहने वाला व्यक्ति" यथा स्थान रहने चाहियें।

धारा १०७ के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक मेजिस्ट्रेट को प्रतिभूति लेने की शक्ति होनी चाहिये, चाहे पहले जो दो शर्तें थीं वे न भी पूरी होती हों। इस प्रकार विधि का कार्य क्षेत्र बढ़ाने और नागरिकों की स्वतन्त्रता को कम करने का कोई कारण नहीं है।

खण्ड १६ में वारंट प्रक्रिया के स्थान पर समन प्रक्रिया का विरोध करता हूं, तथा धारा १७ में बिना मुकद्दमा चलाये किसी को जेल में डालना उचित नहीं है।

धारा १४७ और १४५ में, नागरिक अधिकारों के बीच कोई अन्तर दिखाई नहीं देता है। किसी सम्पत्ति के वास्तविक मालिक का निर्णय करने की बजाये, झगड़े वाली सम्पत्ति का अधिकार किसी को भी दिया जाना उचित नहीं है। अब जो उपबन्ध है, वही रहना चाहिये।

धारा १९८ के विषय में, मैं राजप्रमुखों, राज्यपालों और राष्ट्रपति के मामले में अपवाद करने के लिये सहमत हूं किन्तु दूसरे कर्मचारियों के मामले में मेरा मतभेद है। अपमान तथा दूसरे अपकृत्यों के मामले में यह बात ठीक हो सकती है, किन्तु इसमें यह हानि है कि सरकारी कर्मचारियों को, अपने बदनाम करने वालों से प्रतिकार लेने का अवसर मिलता है। इस मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों को अपने आपको मामले में से साफ कराने के लिये, कुछ रुपया सरकार द्वारा दिया जा सकता है। यदि अनावश्यक निन्दा की गई हो तो वे अपने आपको बचाने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। किन्तु यदि इसे मान्य अपराध बनाया जाता है, तो कुछ लोगों के हाथों में शक्ति आ जायेगी, जो दूसरे लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसे मामले में सरकारी कर्मचारी को न्यायालय में जाकर अपनी सफाई देनी चाहिये, अन्यथा उचित आलोचना समाप्त हो जायेगी।

खण्ड २९ और ३१ पर मैं पहले बोल चुका हूं। अभियुक्त को अपने विरुद्ध दी गई साक्षी के लिये परिस्थिति का वर्णन करने के लिये, उससे जिरह की जानी चाहिये।

धारा ३४ और १०८ समान हैं। यदि कोई अभियुक्त उपस्थित नहीं है, तो मामला को स्थगित नहीं कर देना चाहिये।

धारा ५४० क में जो शब्द हैं, उनके दो अर्थ निकलते हैं, इसलिये इसे बदलना चाहिये, ताकि इसके दो अर्थ न लिये जा सकें।

खण्ड ३४२, धारा ६३ के विषय में यह बात तो ठीक है कि अभियुक्त को साक्षी के रूप में प्रस्तुत होने की अनुमति दी जाती है, किन्तु यह बात अनुचित है कि यदि कोई व्यक्ति साक्षी कक्ष में नहीं आता है, तो उसके विरुद्ध सब प्रकार की धारणायें बनी रहेंगी। संविधान में भी कहा गया है कि किसी अभियुक्त को अपना अपराध मानने के लिये बलात मजबूर नहीं किया जायेगा। इसलिये प्रवर समिति को इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये।

मैं धारा ४२९ को इस खण्ड में सम्मिलित किये जाने का विरोध करता हूं। धारा ४९४ पर भी प्रवर समिति को ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये, क्योंकि ये दोनों धारायें संधेय हैं।

खण्ड ६७ के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि नये मेजिस्ट्रेट के आने पर अभियुक्त

को मुकद्दमे की शुरू से सुनवाई करने का जो अधिकार मिला हुआ है, वह जारी रहना चाहिये। हमें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३५० को बदलना नहीं चाहिये।

खण्ड ८७ के बारे में मैंने पहले एक बार कहा था कि अपील करने का उपबन्ध केवल भारतीय अधिनियम में है और संसार में कहीं नहीं है। अब आप इसे विस्तृत करना चाहते हैं। जहां तक उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रश्न है, गृह-कार्य मंत्री इसकी अवहेलना करते हैं। सौ में से ९९ मामलों में पूर्व निर्णयों का ही अनुमोदन किया जाता है। मैं मानता हूं कि कई मामलों में लोग छोड़ दिये जाते हैं और न्याय किया जाता है।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : हाल में ही श्री महाजन और श्री दास ने अभियुक्तों को बरी किया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जब अपील करने का अधिकार दिया गया है तो उसका ठीक आयोग होना चाहिये। व्यक्तिगत शिकायतों के लिये, अपील का उपबन्ध करने का कोई अवसर नहीं है। यदि सरकार उचित समझेगी, तो अपील करने की अनुमति देगी। यदि अपील व्यर्थ हो तो न्यायालय कुछ प्रतिकर दिला सकता है। मैं इस उपबन्ध का विरोध करता हूं। खण्ड ८८ में भी वही बात है। पहले यह पद्धति थी कि जब अभियुक्त को जेल की जाती थी तो उसे अपील करने के लिये जमानत पर छोड़ दिया जाता था। यदि ज़मानत अयोग्य अपराध के लिये दण्डित व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाये, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्या जमानत योग्य अपराध वाले अपराधी को वे विशेषाधिकार भी नहीं दिये जायेंगे, जो ज़मानत अयोग्य अपराध करने वाले अपराधी को दिये जाते हैं? मुझे आश्चर्य है कि इस प्रकार की गलती कैसे की गई है। मैं प्रवर समिति से, इस गलती को सुधारने का निवेदन करूंगा।

धारा ४३५ में, लोगों का एक और अधिकार छीना गया है। पुनरीक्षण वाले मामले बहुत गम्भीर प्रकार के मामले होते हैं। जिन मामलों में अपील नहीं होती, वहां इसका उपयोग किया जाता है। अब माननीय मंत्री कहते हैं कि तथ्यों के आधार पर कोई पुनरीक्षण नहीं होना चाहिये। यह उपक्रम विपरीतगामी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि हम देश के सभी व्यक्तियों को न्याय प्रदान करना चाहते हैं, तो यह उपक्रम नहीं करना चाहिये और पुनरीक्षण का उपबन्ध वैसे ही रहने दिया जाये, जैसा कि वह अब है।

माननीय मंत्री ने कहा था कि धनी और निर्धन व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं होना चाहिये। परन्तु इस विधेयक में इसके विपरीत ही व्यवस्था की गई है। यदि मुक़दमा छोटा है, दण्ड कम है, और कोई सहायक सत्र न्यायाधीश निर्णय करता है, तो कोई अपील नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित व्यक्ति पुनर्विचार के लिये नहीं कह सकता है। यह अनुचित है। अतः जहां तक इस खण्ड का सम्बन्ध है, मैं इस विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तन के बहुत विरुद्ध हूं।

अब धारा ४८५ क को लीजिये। जैसा कि मैं कह चुका हूं यह भी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अधीन किसी गवाह से उसकी अपनी इच्छानुसार बयान देने का अधिकार छीना जा रहा है। और फिर दूसरी बात यह है कि इसके साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १९१ के उपबन्धों की कोई चर्चा नहीं की गई है। उक्त धारा १९१ में कहा गया है कि जब कोई मेजिस्ट्रेट किसी ऐसे मामले में हस्तक्षेप करता है, जो कि उसके सामने हुआ हो, तो उसे अभियुक्त से यह पूछना पड़ेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उस मामले की सुनवाई वही मजिस्ट्रेट करे या अन्य कोई। यह एक बहुत उत्तम सिद्धान्त है, कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही मामले में निर्णायक नहीं होना

[पण्डित ठाकुर दास भार्गव]

चाहिये और किसी भी दीवानी या फ़ौजदारी न्यायालय को इस प्रकार का क्षेत्राधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। परन्तु हम देखते हैं कि इस विधान में इस सिद्धान्त को कोई उचित स्थान नहीं दिया गया है। इससे न्याय के मार्ग में बाधा पड़ेगी और साथ ही साथ झूठी गवाही को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं इसे उचित नहीं समझता हूं।

जहां तक धारा ४९७ के वर्तमान संशोधन का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा है। इसका परिणाम यह होगा कि मुकद्दमों के निर्णय होने में बहुत विलम्ब नहीं होगा। इसके लिये छः सप्ताह का समय रखा गया है। इस व्यवस्था से यह भी होगा कि अभियोक्ता मुकद्दमे की सुनवाई के सम्बन्ध में देर नहीं कर सकेगा। मैं इस उपबन्ध को बहुत पसन्द करता हूं। दो वर्ष पूर्व मैंने एक विधेयक पुरःस्थापित किया था जिसका सम्बन्ध प्रत्याशित जमानत से था। वह अभी तक प्रकाश में नहीं आया है, और मैं चाहूंगा कि धारा ४९७ पर विचार करते समय प्रवर समिति उस पर भी विचार करे और उसके अनुसार इस विधेयक में एक व्यवस्था करे। पुलिस के अत्याचारों के भय से लोग पुलिस को आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते हैं। अतः उचित मामलों में प्रत्याशात्मक जमानत से ली जानी चाहिये। यदि वह व्यक्ति तुरन्त ही आत्म समर्पण कर दे तो भी जमानत ले ली जानी चाहिये।

अब मैं खण्ड १०२ और १०३ के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करूंगा। ये खण्ड धारा ५२६ और ५२८ के संशोधन हैं। पहले मैं धारा ५२८ के विषय में कहूंगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की नई योजना के अनुसार, तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों द्वारा दण्डित मामलों की अपीलों की सुनवाई का अधिकार सत्र न्यायाधीशों को दिया जा रहा है। ऐसा एक उपबन्ध है, और इस परिवर्तन के लिये मैंने माननीय गृह-मंत्री को बधाई दी थी। परन्तु देखना यह है कि धारा ५२८ का अर्थ क्या है? आजकल स्थिति यह है कि जिलाधीश किसी भी मुकद्दमे को किसी भी मेजिस्ट्रेट, चाहे वह प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी का हो, के पास से वापस ले सकता है, और अपने पास रख सकता है, और व्यवहारिक रूप में मुकद्दमे को स्थानान्तरित कर सकता है। अब यह शक्ति सत्र न्यायाधीश को दी जा रही है। मैं इस चीज़ के पक्ष में हूं। परन्तु यदि यह शक्ति जिलाधीश और सत्र न्यायाधीश दोनों ही के पास रही तो निस्सन्देह गड़बड़ी पैदा होगी और उक्त दोनों अधिकारियों में टक्कर हो सकती है। यदि आप सचमुच न्याय-पालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्-करण करना चाहते हैं, तो ये शक्तियां आप जिलाधीश से छीन लीजिये और उन्हें केवल सत्र न्यायाधीश को सौंप दीजिये। इस चीज़ पर प्रवर समिति को विचार करके आवश्यक परिवर्तन करने चाहियें।

इस विधेयक के किसी और उपबन्ध के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अन्त में मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति के सामने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं, और अच्छा होगा कि वह सम्पूर्ण दण्ड प्रक्रिया संहिता पर और कम से कम विधि के परि-वर्तनीय उपबन्धों पर विचार करे। जब तक वे तत्स्थानी धाराओं में और अधिनियम के अन्य उपबन्धों में समुचित परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक वे इस मामले के साथ न्याय नहीं करेंगे।

हमको स्वतन्त्रता प्राप्त किये हुए सात वर्ष हो गये हैं और हमें अपने न्यायालयों और देश के वातावरण में सुधार करना चाहिये। हमें एक स्वस्थ और अच्छा वाता-

वरण पैदा करना है। इसके लिये हमें अपनी न्याय प्रणाली को बिल्कुल बदल देना होगा। केवल यही नहीं अन्य परिवर्तन भी करने होंगे। इस उद्देश्य को सामने रख कर मैं इस सदन में सामाजिक सुधार तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण मंत्रालयों के बनाये जाने के लिये गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहा हूं। परन्तु अभी तक मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता का सुधार तो सारी समस्या का केवल एक ही पहलू है। माननीय मंत्री ने सारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता, व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा अन्य अनेक अधिनियमों में परिवर्तन करने का आश्वासन दिया है। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। परन्तु कहीं ऐसा न हो कि वर्तमान प्रयत्न के बाद सारा कार्यक्रम खटाई में डाल दिया जाये। इस विधेयक में बहुत सी कमियां हैं, जिन्हें दूर करने के बाद ही इसे पारित करना अच्छा होगा, अन्यथा न्याय प्रशासन पर से लोगों का विश्वास समाप्त हो जायेगा और गड़बड़ी फैल जायेगी।

श्री एन० सी० चटर्जी : इस देश के फ़ौज़दारी न्याय के सुधार की समस्या के सम्बन्ध में डा० काटजू ने संसद् के गत सत्र में जो आश्वासन दिया था, उससे हम लोगों को बहुत आशा बन्धी थी। दण्ड प्रक्रिया संहिता के ५६ वर्ष के जीवन काल में, अभी तक उसमें किसी भी प्रकार का सुधार या संशोधन नहीं किया गया है। अतः हमने उक्त आश्वासन का हार्दिक स्वागत किया था। परन्तु अब जो विधेयक हमारे सामने है, उसको देख कर हम लोगों को काफी निराशा हुई है।

संसद् का सदस्य चुने जाने के तुरन्त बाद ही मैंने इस समस्या की ओर डा० काटजू का ध्यान आकर्षित किया था, और मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि इस कार्य के लिये एक शक्तिशाली आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधिपति, किसी एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति फौजदारी न्याय के कार्य-संचालन का वास्तविक ज्ञान रखने वाले कुछ प्रमुख वकील गण, कुछ सार्वजनिक व्यक्ति और कुछ प्रमुख संसद् सदस्य हों, और यह आयोग सारे देश का दौरा करके प्रमुख वकीलों, न्यायाधीशों, विधिजीवी संघों, और प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों के साथ परामर्श करने के बाद अपना प्रतिवेदन ,प्रस्तुत करे। परन्तु खेद है कि डा० काटजू मेरे इस सुझाव से सहमत नहीं हुए और उन्होंने मुझ से कहा कि वह लोकमत जानने के इस कार्य में अधिक समय नहीं व्यय करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह भारत के न्याय प्रशासन के सुधार पर एक ज्ञापन तैयार कर रहे हैं। मुझे इस ज्ञापन की एक प्रति बड़े ही नाटकीय ढंग से डा० काटजू के घर पर प्राप्त हुई थी ! मैंने इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या यह एक गोपनीय दस्तावेज़ है ?

श्री एन० सी० चटर्जी : उस पर 'सर्वथा गोपनीय' लिखा हुआ है।

श्री एन० एस० जैन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण) : क्या यह ज्ञापन संसद् सदस्यों को परिचालित किया गया है।

श्री एन० सी० चटर्जी : डा० काटजू के कथनानुसार कुछ सदस्यों को यह ज्ञापन भेजा गया था।

श्री एन० एस० जैन : मुझे इसकी प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : तो यह स्पष्ट है कि इसे परिचालित नहीं किया गया है।

श्री एन० एस० जैन : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह ज्ञापन माननीय गृह मंत्री द्वारा तैयार किया गया है। उन्होंने संसद् सदस्यों को इसकी प्रतियां नहीं दी हैं

[श्री एन० एस० जैन]

परन्तु उसकी एक प्रति उन्होंने अपने अतिथि को दी है। यह कहां तक उचित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्यों ने मांग की होती तो माननीय मंत्री ने उन्हें उसकी प्रतियां दे दी होतीं। यह निर्णय करना कि वह सर्वथा गोपनीय है या नहीं, माननीय सदस्यों का काम है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यदि माननीय मंत्री को कोई आपत्ति न हो तो वह उसकी प्रतियां परिचालित कर दें।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : यदि कोई माननीय सदस्य किसी गोपनीय दस्तावेज का हवाला अपने भाषण में देता है, तो क्या सदन इस बात की मांग कर सकता है या नहीं कि वह सारा दस्तावेज़ सदन पटल पर रखा जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक गोपनीयता का सम्बन्ध है वह उस माननीय सदस्य द्वारा गोपनीय रखा जा सकता है, जिसे वह प्राप्त हुआ हो। परन्तु यदि एक बार भी कोई दस्तावेज सदन में पढ़ दिया जाता है, तो उसका वह अंश और उसको स्पष्ट करने वाला अन्य कोई सुसंगत अंश, सदन पटल पर अवश्य रखा जाना चाहिये। पूरे दस्तावेज का रखा जाना आवश्यक नहीं है।

श्री बंसल : मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या एक पूर्व अवसर पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्णय नहीं दिया जा चुका है कि सदन में किसी गोपनीय दस्तावेज़ का हवाला नहीं दिया जाना चाहिये ?

उपाध्यक्ष महोदय : जिस समय माननीय सदस्य श्री चटर्जी ने उस दस्तावेज़ का हवाला दिया था, उस समय इस तरफ किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं किया गया था। मैं समझता हूं कि यदि माननीय मंत्री उसे एक माननीय सदस्य को दे सकते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि वह अन्य माननीय सदस्यों को उससे वंचित रखें विशेष रूप से जबकि वह वाद विषय से सम्बन्धित है।

श्री एन० सी० चटर्जी : श्री टेकचन्द को उसकी प्रति प्राप्त हुई है।

श्री टेकचन्द : आरम्भ में वह एक गोपनीय दस्तावेज़ था। पर अब वह गोपनीय नहीं हैं। वह उन व्यक्तियों के लिये है जो कि प्रस्तावित न्यायिक सुधारों में रुचि रखते हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं उसमें दी गई दो-एक बातों का ज़िक्र करने वाला था। माननीय मंत्री ने इसमें बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं। उसकी भूमिका में कहा गया है कि चूंकि फ़ौजदारी मुक़द्दमों में स्वयं राज्य एक पक्ष के रूप में होता है इसलिए अदालत की कार्यवाही को आसानी से क़ाबू में रखा जा सकता है। दीवानी अदालतों में चूंकि राज्य का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता इसलिये उनमें मुकद्दमों में बड़ी देर लगती है और उनमें यह बुराई बहुत ज्यादा फैली हुई है। ज्ञापन में माननीय गृह-मंत्री ने कहा है कि फ़ौजदारी के मुक़द्दमों में देर लगने की शिकायतों का मुख्य कारण यह है कि मजिस्ट्रेटों और सत्र न्यायाधीशों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी हैं जितना कि काम बढ़ गया है। इस सम्बन्ध में लोगों को आम शिकायत यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने एक आयोग नियुक्त करके देश की न्याय सम्बन्धी स्थिति को जानने का प्रयत्न नहीं किया है। उन्हें डर है कि कहीं निवारक निरोध तथा प्रेस अधिनियमों की तरह यह क़ानून भी जनता की स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित करने में काम में न लाया जाये। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री ने असली ख़राबी की ओर ध्यान नहीं दिया है। असली ख़राबी की न तो न्यायालय या न्यायाधीशों

में है और न ही इस संहिता में। असली ख़राबी यह है कि हमारे यहां फ़ौज़दारी के मुक़द्दमों की जो न्याय व्यवस्था है वह बहुत अधिक दोष-पूर्ण है; स्वतन्त्रता प्राप्त होने के सात वर्ष बाद भी न्यायपालिका और कार्यपालिका को वास्तविक रूप से अलग अलग नहीं किया गया है। आप चाहे कितने ही संशोधन करें और कितनी ही अदला-बदली करें, आप इस न्याय-व्यवस्था को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक इस बईमान, अकुशल और भ्रष्ट पुलिस को आप नहीं सुधारेंगे। जैसा कि उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण तथा स्वय डा० काटजू के भाषण में संकेत किया गया है, हमारे यहां मामलों की तहकीकात उचित ढंग से नहीं की जाती। मजिस्ट्रेट के सामने मुक़-दमों में बहुत देर लगती है क्योंकि इस्तगासे के गवाह समय पर नहीं आते। मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस व्यवस्था को ठीक करने के लिये सरकार क्या कर रही है ? आप किसी भी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चले जाइये और देखिये कि वहां कितना बुरा हाल है। मेरे और डा० श्यामप्रसाद मुकर्जी तथा अन्य संसद् सदस्यों के मुक़द्दमे को ही लीजिये। मुझे तो सरकार की कृपा से जल्दी ही छोड़ दिया गया था परन्तु अन्य संसद् सदस्यों के खिलाफ़ मुकद्दमा बहुत दिनों तक चलता रहा। न्यायालयों में मजिस्ट्रेट कभी समय पर नहीं आते। कभी व दो घंटे बैठते हैं और कभी तीन घंटे। वहां बैठे बैठे भी वे अपने मित्रों और सम्बन्धियों के साथ गप्प-शप्प किया करते हैं और वे लोग जो अपने मुक़द्दमों के सिलसिले में न्यायालय में आते हैं, इधर-उधर चक्कर काटा करते हैं। हमारे यहां के कार्यपालिका मजिस्ट्रेट वन महोत्सव, फुटबाल मेचों और मंत्रियों आदि के स्वागत में ही लगे रहते हैं; अपना काम करने की उन्हें फुरसत नहीं मिलती उन्हें उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश की निगरानी में रखा जाना चाहिये और पुलिस के क़ब्ज़े बचाना चाहिये वरना हमारे यहां की न्याय व्यवस्था कभी ठीक नहीं हो सकती। हो सकता है कि डा० काटजू को आजकल की पुलिस पर पूरा भरोसा हो परन्तु यह पुलिस वैसी ही चली आ रही है जैसी अंग्रेज़ों के समय में थी। आपको चाहिये कि आप उन्हें अच्छे वेतन दें और तहकीकात करने के वैज्ञानिक तरीक़े सिखायें, डंडे और जूते से मारने की पुरानी प्रणाली से ही काम न लिये चले जायें। पुलिस वाले जानबूझ कर न्यायाधीशों को बेवकूफ़ बनाते हैं। डा० मुकर्जी के मामले में राज्य के वकील ने न्याया-धीश से कहा था कि चूंकि उसका गवाह बीमार है इसलिये मुक़द्दमा थोड़े दिन स्थगित कर दिया जाये; परन्तु वह व्यक्ति चांदनी चौक में घूमता हुआ पकड़ा गया और उसे किसी क़िस्म की कोई बीमारी नहीं थी। तो पुलिस के लोग इस तरह से काम करते हैं। उन्हें मजिस्ट्रेटों की ज़रा परवा नहीं होती क्योंकि वे जानते हैं कि मजिस्ट्रेट पुलिस वालों से कुछ भी कहने का साहस नहीं रखते। मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की इस राय से पूरी तरह सहमत हूं कि तहक़ीक़ात के समय मजि-स्ट्रेटों का मामले से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। आप ने शायद इस विषय में उच्चतम न्यायालय का एकमत निर्णय भी पढ़ा होगा; कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री पी० जी० मुकर्जी ने भी कहा था कि मजिस्ट्रेटों द्वारा पुलिस के जाल में हिस्सा लेना गलत तरीक़ा है और मजिस्ट्रेटों को ऐसा नहीं करना चाहिये।

[**सरदार हुक्म सिंह** पीठासीन हुए]

मैं यह नहीं कहता कि विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध किया गया है। डा० काटजू के विधेयक में यह व्यवस्था की जा रही है कि जब कोई गम्भीर मामला हो जाय तो तुरन्त ही पुलिस को चाहिये कि वह खास गवाहों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे और उनके बयान लिखवाये। मैं इस उपबन्ध को बिल्कुल

[श्री एन० सी० चटर्जी]

अनुचित समझता हूं और इसका कड़ा विरोध करता हूं।

मैं यह नहीं कहता कि सारे विधेयक ख़राब हैं। मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की कुछ बातों से सहमत नहीं हूं। सबसे पहले तो मैं असेसर प्रणाली के समाप्त किये जाने का स्वागत करता हूं; साथ ही जूरी पद्धति के लिये जो व्यवस्था की गई है उसका भी मैं स्वागत करता हूं। जूरी पद्धति न्याय के हित में अत्यावश्यक है।

मैं डा० काटजू के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि समन मामलों की सूची और बड़ी होनी चाहिये। खंड २ में कहा गया है कि वे सारे मामले जिनमें अधिक से अधिक सज़ा एक वर्ष हो सकती है, समन मामले माने जायेंगे इसके अनुसार धारा १६६, १६८, १७१, २६४ से २६७, २९६ से २९८, ३०९, ३२३, ३४२ आदि के अन्तर्गत सारे मामले आ जायेंगे यह एक बहुत अच्छा उपबन्ध है।

मैं पंडित भार्गव की इस बात से सहमत हूं कि अवैतनिक मेजिस्ट्रेट जितनी जल्दी समाप्त कर दिये जायें उतना ही अच्छा है। मैं खंड ४ में किये गये उपबन्ध को पसन्द नहीं करता कि अवैतनिक मजिस्ट्रेटों के बारे में राज्य सरकारें उन योग्यताओं को निर्धारित करेंगी जिन्हें वे ठीक समझेंगी। मेरी राय में इस विषय में एक स्पष्ट नियम होना चाहिये। और एक निश्चित स्तर निर्धारित किया जाना चाहिये। यह कार्य संसद् द्वारा ही होना चाहिये, राज्य सरकारों की इच्छा पर इसे छोड़ना उचित नहीं होगा।

डा० काटजू का एक प्रस्ताव यह है कि धारा ३० को सारे देश में लागू किया जाये। जैसा आप जानते हैं कुछ राज्यों में मजिस्ट्रेटों को सारे गंभीर मामलों के मुकद्दमे निपटाने के अधिकार प्राप्त हैं, वे केवल उन मामलों को नहीं निपटा सकते जिन का दंड फांसी या आजन्म कारावास है। इस के बारे में लोगों को आपत्ति यह थी कि छोटे छोटे छोकरे मजिस्ट्रेटों को इतने बड़े अधिकार देना ग़लत है। डा० काटजू ने इस में यह व्यवस्था की है कि दस वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों को ही ये अधिकार दिये जायेंगे। मैं समझता हूं यह एक बहुत अच्छा उपबन्ध है और इस से लोगों का डर दूर हो जायेगा।

जुर्माने के बारे में धारा ३२ में परिवर्तन किया जा रहा है। इस में कोई खास बात नहीं है। १८९८ में १००० रुपये का जो मूल्य था वह अब २००० रुपये के बराबर ही है, इसलिये जुर्माने में वृद्धि कर देने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मुझे सब से अधिक आपत्ति धारा १६२ के हटाने पर है। धारा १६२ के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिये गये बयान का प्रयोग इस्तगासे के गवाहों की बात काटने के लिये ही किया जा सकता है, अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं। यह एक कड़ा अच्छा उपबन्ध था क्योंकि इस के द्वारा अभियुक्त को इस्तगासे के गवाहों की सचाई का पता लगा सकने का अवसर मिलता था। उसे यह जानने का मौका भी मिलता था कि पुलिस की तहकीकात ईमानदारी से हुई है या नहीं। अब डा० काटजू इस उपबन्ध को हटा रहे हैं। इस का नतीजा यह होगा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा लिये गये बयान को गवाहों की सचाई का सबूत देने के काम में लाया जायेगा जिस से अभियुक्त के हित पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस का बहुत अनुचित प्रभाव पड़ेगा जो एक तरह से अभियुक्त के प्रति अन्याय होगा। जैसा कि बड़े बड़े न्यायालयों में माना गया है, इस देश के पुलिस अधिकारी अक्सर अपनी इच्छा के अनुसार बयान लेते

हैं और वास्तव में जो बातें कही जाती हैं उन्हें नहीं लिखते। बयान में वे वही बातें लिखते हैं जो उन की राय में महत्वपूर्ण होती हैं और उन सब बातों को छोड़ देते हैं जिन का संबंधित मामले में आगे चल कर बहत महत्व होता है। धारा १६२ का उद्देश्य ही यह है कि अभियुक्त को अपने बचाव का पूरा पूरा मौका दिया जाये और वह इस्तगासे के गवाहों से जिरह कर सके ताकि न्यायाधीश के सामने वह दिखा सके कि उन के बयान ठीक हैं या ग़लत। यह एक बहुत गंभीर विषय है और मुझे आशा है कि डा० काटजू इस पर अच्छी तरह विचार करेंगे ताकि देश के नागरिकों को न्याय के सम्बन्ध में किसी प्रकार का डर न रहे।

१२ मध्यान्ह

मैं विधेयक में किये गये इस उपबंध का भी विरोध करता हूं कि राष्ट्रपति, राज्यपाल राजप्रमुख मंत्री या सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध मानहानि के मामले में पुलिस मानहानि करने वाले को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, अर्थात्, उन के सार्वजनिक कार्यों की आलोचना करना हस्तक्षेप अपराध बनाया गया है। संसद् को इसे अस्वीकार कर देना चाहिये। निस्सन्देह, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के मामले में तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन मंत्री या सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में पुलिस को यह छूट देना ठीक नहीं है। हो सकता है किसी राज्य का गृह-कार्य मंत्री पुलिस को उन व्यक्तियों के पीछे लगा दे जो उस की आलोचना करते हैं। मान लीजिये जो लोग मंत्री की आलोचना करते हैं उन के पास उसे प्रमाणित करने के कागजात मौजूद हैं और पुलिस उन्हें उठा ले जाती है तो वे व्यक्ति क्या कर सकते हैं। इस प्रकार एक मूल्यवान साक्ष्य नष्ट हो सकता है। वास्तव में, देखा जाये तो यह संविधान में दिये गये मूल अधिकारों के विरुद्ध है। इस से वाक्य, अभिव्यक्ति और प्रेस स्वातन्त्र्य खत्म हो जाता है। अमरीकी संविधान में भी इन अधिकारों को राजनीति की पकड़ से बाहर रखा गया है। यह कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन को आप साधारण विधान से छीन नहीं सकते। मास्टर तारा सिंह के मामले में पंजाब उच्च न्यायालय ने धारा १२४क को अवैध घोषित कर दिया था। संवैधानिक या कानूनी पहलूओं के अलावा भी सिद्धान्त के अनुसार इतने व्यापक अधिकार देना ठीक नहीं है।

मैं इस के पक्ष में कि जूरी पद्धति जारी रखी जाये। हमें अपने नागरिकों पर विश्वास होना चाहिये। मैं पहले ही इस सम्बंध में काफी कह चुका है।

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि आज देश में झूठी गवाही देना काफी जोर पकड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि इसे रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। लेकिन मैं डाक्टर काटजू के इस कथन का घोर विरोध करता हूं कि वकीलों के कारण ही झूठी गवाही देने का ज़ोर बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि कुछ सीमा तक गवाहों को सिखा कर तैयार किया जाता है। लेकिन ऐसा कभी कभी कानून की बारीकियों को पूरा करने के लिये करना पड़ता है। वसीयत के मामलों में ऐसा अधिकतर करना पड़ता है। यदि गवाह यह न कहे कि हस्ताक्षर उस के सामने किये गये हैं तो मुकदमा ही खारिज हो जाये। फिर भी, इसे दूर करने के लिये हम सब को मिल कर प्रयत्न करना चाहिये। हो सकता है कभी ऐसा मालूम हो कि गवाह झूठ कह रहा है लेकिन बाद के तथ्यों या साक्ष्य से यह भी पता लग सकता है कि वह सच कह रहा था। अतः डा० काटजू का यह कहना कि यदि गवाही की किसी अवस्था पर मजिस्ट्रेट यह समझे कि गवाह झूठ बोल रहा है तो उसे तत्काल ही सजा

[श्री एन० सी० चटर्जी]

दे दे, ठीक नहीं है। क्या यह खतरनाक बात नहीं है ? क्या यह एक असाधारण अधिकार नहीं है ? इस प्रकार तो कोई भी गवाह गवाही देने के लिये तैयार ही नहीं होगा। इस प्रकार तो आप उसी व्यक्ति को अभियोक्ता, गवाह और न्यायाधीश बना देंगे। यह न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है।

मैं विधेयक के इस उपबन्ध के भी विरुद्ध हूं कि दोषारोपण के बाद कोई जिरह नहीं हो सकेगी, मैं पूछता हूं कि क्या कोई वकील चाहे वह कितना भी अनुभवी और विद्वान क्यों न हो, पूरे अभियोजन मामले को जाने बिना सफलतापूर्वक जिरह कर सकता है ? एक गवाह कुछ कहता है, दूसरा कुछ और। बिना सारा मामला जाने कैसे जिरह हो सकती है। मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि आप अभियुक्त से उस के इस अधिकार को न छीनिये कि वह अपनी सफाई उचित रूप से दे सके। न्याय में शीघ्रता लाने की धुन में कहीं आप ऐसी व्यवस्था न कर दें कि अभियुक्त बेचारा अपनी सफाई देने के अधिकार से भी वंचित रह जाये। आप का उद्देश्य होना चाहिये निष्पक्ष न्याय। मैं यह नहीं चाहता कि दोषी को दंड न दिया जाये लेकिन उसे अपनी सफाई देने का भी तो पूरा पूरा मौका दिया जाये। खंड ३८ के अन्तर्गत दोषारोपण के पश्चात किसी भी गवाह से जिरह नहीं की जा सकेगी। यह बात तो अभियोक्ता के भी पक्ष में नहीं होगी।

मेरे विचार में प्रवर समिति, पंडित ठाकुर दास भार्गव तथा अन्य सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों को ध्यान में रखेगी। परम आवश्यकता तो इस बात की है कि पुलिस वालों का सुधार किया जाये। जब तक उन को नहीं सुधारा जाता तब तक इस दिशा में कानून बनाने से भी कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् (गुन्टूर) : मैं माननीय गृह मंत्री से इस बात में सहमत हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता का पहला उद्देश्य यह होना चाहिये कि उस से अभियुक्त को अपने बचाव में अधिक से अधिक सुविधायें मिलें तथा दूसरा यह कि न्याय प्राप्त होने में विलम्ब न हो। अब हमें यह देखना है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के हेतु विधेयक में क्या व्यवस्था की गई है।

माननीय गृह मंत्री का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि लोगों का न्यायालयों पर से विश्वास हट गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हमें यह देखना है कि ऐसा क्योंकर हुआ है। क्या न्याय करने में देर होती है ? क्या न्यायाधीशों या पुलिस की कमी है ? यदि हम ने इन बातों का हल ढूंढ़ निकाला तो हम न्यायालयों में लोगों का विश्वास फिर से उत्पन्न कर सकते हैं। मेरे विचार में अपराध की जड़ सम्पत्ति की असामनता है। कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब। देखा जाये तो गरीबों की ही संख्या अधिक है। फिर भी कुछ, अमीरों के लाभ के लिये असंख्य गरीबों का ही गला दबाया जाता है। यही कारण है कि हमारे देश में कार्यपालिका धारा १४४, १०७, १०८, १०९ और ११० के अन्तर्गत अनेक प्रगतिशील आन्दोलनों को दबा रही है। ऐसी व्यवस्था और किसी सभ्य देश में नहीं है। आज कल मजिस्ट्रेट कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं। कार्यपालिका भी ऐसी है जो भ्रष्टाचार और अकार्यकुशलता के बोझ से दबी जा रही है। आन्ध्र राज्य में मद्यनिषेध है। लेकिन उस का लाभ सब से अधिक वहां की कार्यपालिका उठा रही है। यह वहां के सरकारी कर्मचारियों के लिये आमदनी का साधन हो गया है।

इस बात को भी श्री एस० वी० रामामूर्ति ने अपनी रिपोर्ट में भी स्वीकार किया है ।

इस से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि किस प्रकार कार्यपालिका अर्थात भ्रष्टाचारी तथा अकुशल पुलिस ने केवल लोगों को तंग करना शुरू कर रही है परन्तु संविधान का भी निरादर कर रही है । लोग तो उन के समक्ष आने से भी डरते हैं । इन्हीं को जांच और अभियोग दोनों के अधिकार दिये गये हैं । वे लोगों को वक्तव्य देने के लिये बुलाते हैं और अपने ही ढ़ंग से उन के वक्तव्यों का अभिलेख तैयार करते हैं । मामला न्यायालय में प्रस्तुत करने के पश्चात् बार बार स्थगित किया जाता है । स स्थगन का निरन्तर कारण यह होता है कि पुलिस उपस्थित नहीं होती । उन की अनुपस्थिति का कारण यह है कि उन्हें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और नज़रबन्द करने का अधिकार है और न्यायपालिका, कार्यपालिका के अधीन है । डा० काटजू उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह कह कर उन्हें एक वर प्रदान कर रहे हैं कि, "मैं आप से सहानुभूति रखता हूं, अतएव आप के हित के लिये आप को अपने धन और श्रम से बचाने के लिये उच्च न्यायालय के पुनर्विचार के अधिकार को समाप्त करना चाहता हूं ।" इस की बजाय गृह मंत्री को अपने कर्त्तव्य की ओर ध्यान देना चाहिये । अभियुक्त लोग बहुत दरिद्र होते हैं । वे वकील भी नहीं कर सकते । इस के अतिरिक्त उन्हें प्रतिवाद के लिये अभिलेख खरीदने पड़ते हैं । जब तक हम ने भ्रष्टाचारपूर्ण स्थिति को समाप्त न किया हम उन लोगों में पुनः न्यायालयों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकते । देश की विधि का स्वरूप ऐसे ढ़ंग से बनाना चाहिये कि सामाजिक तथा आर्थिक असमानतायें नष्ट हो जायें और एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना हो सके । न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर देना चाहिये और दण्डाधीश सीधे उच्च न्यायालय के अधीन होने चाहियें । यदि डा० काटजू यह अनुभव करते हैं कि अपराधी दरिद्र होते हैं तो उन्हें राज्य के व्यय पर अधिवक्ता की सहायता क्यों नहीं दी जाती ।

डा० काटजू ने विधेयक के जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया है मैं प्रयास करने पर भी उन पर विश्वास नहीं कर सकता हूं । मैं समझता हूं कि इस से तो वर्तमान न्यायपालिका द्वारा न्याय की बनाम कार्यपालिका द्वारा न्याय का उपबन्ध किया गया है । इस विधेयक के प्रतिगामी पहलुओं के सम्बन्ध में जो तर्क पंडित ठाकुर दास भार्गव और श्री चटर्जी ने प्रस्तुत किये हैं मैं उन का समर्थन करता हूं । अब मैं सीधा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १६२ की ओर आता हूं ।

मैं अनुभव करता हूं कि वस्तुतः डा० काटजू का भी यह अभिप्राय नहीं है कि धारा १६२ के अधीन लिये गये अभिलेखों को न्यायालय में प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत करने पर जो प्रतिबंध है वह हटा दिया जाये ।

माननीय मंत्री ने न तो उद्देश्यों और कारणों के विवरण में और न ही खंडों पर दी गई टिप्पणियों में अपना अभिप्राय स्पष्ट किया है । इसलिये माननीय मंत्री से मेरी यह अपील है कि वे इस स्थिति पर विचार करें और धारा १६२ की प्रत्येक कंडिका को विधेयक में सम्मिलित कर लें ताकि अपराधी से उस का बहुमूल्य अधिकार न छीना जाये ।

अब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १६४ को लीजिए । इसके अधीन जांच करने वाले पुलिस् पदाधिकारी पर दायित्व रखा गया है कि वह उन सब गवाहों का वक्तव्य ले जिन के वक्तव्यों को वह जांच के लिये आश्वश्यक समझे । फिर उन्हें दंडाधीश के समक्ष प्रस्तुत करके इन व्यक्तव्यों को अभिलिखित कराना

[श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्]

होगा। जब धारा १६२ के प्रतिषेध खंड का लोप कर दिया गया तो अभियोक्ता, अथवा अभियुक्त साक्ष्य के रूप में इस वक्तव्य का प्रयोग कर सकेगा। वहीं पुलिस पदाधिकारी गवाह को दण्डाधीश के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिस ने पहले अपनी इच्छानुसार उसका व्यक्तव्य ले लिया था। गवाह को पुलिस पदाधिकारी का सामना करना पड़ेगा जो उसे कहेगा कि यदि उसने संशोधित संहिता के अधीन अपने पूर्व वक्तव्य के विरुद्ध कुछ कहा तो इस का उसके विरुद्ध प्रयोग किया जायेगा। इस प्रकार उस पर दबाव डाला जायगा। अतएव जो वक्तव्य धारा १६१ के अधीन अभिलिखित किया गया था उसकी प्रतिलिपि मात्र धारा १६४ के अधीन दण्डाधीश द्वारा अभिलिखित होगी। इन परिस्थितियों के अधीन जो भी गवाह न्यायालय के समक्ष आयेगा वह सच्चे बात नहीं कह सकेगा जब तक कि वह झूठी गवाही के लिए अपने ऊपर अभियोग चलाये जाने का खतरा मोल लेने के लिये तैयार न हो। इसी कारण मुझे आपत्ति है। मैं माननीय मंत्री को यह भी बता देना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय धारा १६४ के अधीन वक्तव्य लेने की प्रथा का विरोध करते रहे हैं क्योंकि पुलिस पदाधिकारी को धारा १६४ के अधीन गवाही लेने का ध्यान तभी आयेगा जब वह समझेगा कि गवाह को किसी पक्ष के लिये मोड़ा जा सकता है। यदि धारा १६२ के अधीन सब पूरी गवाहियों का अभिलेख लिया जाये तो जनसाधारण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वे समझेंगे कि अभियोक्ता स्वयं गवाहों की ईमानदारी पर विश्वास नहीं करता। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि धारा १६४ को निकाल दिया जाये।

समर्पण कार्यवाही को चालू रखने के विरुद्ध दो आपत्तियां उठाई गई हैं। एक तो यह कि इस में देरी हो जाती है और दूसरे यह कि आंकड़ों से पता चलता है कि केवल ३ प्रतिशत मामलों को मुक्त किया जाता है और शेष स्वतः ही सत्र न्यायालय को भेज दिये जाते हैं क्या ये ठोस आपत्तियां हैं? देरी तो, जैसे मैं ने पहले कहा, पुलिस के कारण होती है न कि अभियक्त के कारण। जिस धारा १७३ का गृह मंत्री संशोधन करना चाहते हैं, उस के अधीन पुलिस पदाधिकारी को धारा १६१, तथा १६४ के अधीन लिय गये सब गवाहियों के वक्तव्य और अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। हम उस पर यह दायित्व भी लगा सकते हैं कि वह गवाह को भी साथ ही प्रस्तुत करे। जब पुलिस, अभियक्त, दण्डाधीश, सब प्रलेख और गवाह प्रस्तुत होंगे तो उसी समय अभियोग आरम्भ हो सकता है। इस से समर्पण कार्यवाही में देरी नहीं होगी।

दूसरी आपत्ति यह है कि समर्पण कार्यवाही का कोई लाभ नहीं। दण्डाधीश को बहुत अधिकार हैं कि वह मुक्त करे अथवा सत्र न्यायालय को समर्पित कर दे। परन्तु दण्डाधीशों के कार्यपालिका के अधीन होने के कारण वह अपनी ज़िम्मेवारी पर मुक्त करने का साहस नहीं करते। परन्तु यह जो आपत्ति उठाई गई है, इस का मेरा यह उत्तर है कि इन पढ़ाये हुए गवाहों का जितना प्रतिपरीक्षण किया जाये उतना ही अभियुक्त का हित है। समर्पण कार्यवाही को समाप्त करने से जो एक लाभ अभियुक्त को प्राप्त था वह छिन जायेगा। इसलिये इस समर्पण कार्यवाही को रखे रखना चाहिये।

उच्च न्यायालय के पुनर्विचार अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने की बात को लीजिये। संहिता के अनुसार केवल कुछ मामलों में अपील के लिये उपबन्ध हैं। यदि ज़िला न्यायाधीश एक मास अथवा एक मास से कम की सज़ा दे या २०० रुपये तक क

जुर्माना करे तो अपील नहीं हो सकती । संक्षिप्त कार्यवाही वाले मामलों में भी अपील नहीं हो सकती । आखिर लोग गरीब हो गये हैं । यदि वे कार्यवाही को आगे बढ़ाना चाहें तो निर्धन होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकते । इस सम्बन्ध में लोगों द्वारा अपना मत प्रकट किये बिना गृह मंत्री का यह कहना कि मैं उन के हित के लिये उच्च न्यायालय के अधिकार प्रतिबन्धित करता हूं, न्यायोचित नहीं दिखाई देता ।

राष्ट्रपति, राजप्रमुख, मंत्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों की मानहानि के प्रश्न को लीजिये । मैं मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के विषय में ही कहूंगा ।

पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में अथवा अन्यथा कितने अत्याचार और अपराध करें विधि द्वारा उन की रक्षा की जाती है, परन्तु उन के विरुद्ध नागरिकों के लिये कोई उपबन्ध नहीं है । आंध्र के कुछ ज़िलों में कुछ मंत्रियों ने ज़िले के अन्य भागों में रहने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एक संघठित आंदोलन चलाया था परन्तु लोगों की रक्षा के सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा गया ।

धारा में 'लोक कार्य' शब्द प्रयोग किये गये हैं । 'कार्य' 'कर्तव्य' की अपेक्षा एक विस्तृत शब्द है और इस का भिन्न अभिप्राय है । यदि कोई मंत्री किसी राजनैतिक बैठक में अनचित बात कह दे तो यदि दूसरा आ कर इस अनौचित्य को प्रदर्शित करे तो यह उस का कर्तव्य होगा । प्रत्येक नागरिक को उत्तर देने का अधिकार है । इन पदाधिकारियों को विशेषाधिकार क्यों दिये जा रहे हैं ? धारा १५५ के अनुसार पुलिस पदाधिकारी अहस्तक्षेप्य मामले की जांच दण्डाधीश के आदेश के बिना नहीं कर सकता । यदि इस में यह खण्ड निविष्ट कर दिया जाये कि यह मान हानि के मामले पर लागू नहीं होता तो जांच से पूर्व गिरफ्तारी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा । फिर भी पुलिस को कार्यवाही आरम्भ करने का अधिकार है । परन्तु इस अपराध को हस्तक्षेप्य क्यों बनाया जा रहा है जिस से पुलिस पदाधिकारी को अधिकार मिल जाता है जिस में लोगों को कोई विश्वास नहीं है । मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और प्रवर समिति के समक्ष भी इस के लिये अनुरोध करेंगे ।

मेरा यह विश्वास है कि विरोधी पक्ष का केवल यह कार्य नहीं कि वह सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक बात का विरोध करे वरन उसे उन उपबन्धों के लिये सरकार से सहमत भी होना चाहिये जिन से वह सन्तुष्ट हो । मैं अवैतनिक दण्डाधीशों की नियुक्ति के लिये विहित की गई अर्हताओं के उपबन्धों का स्वागत करता हूं परन्तु इन अर्हताओं के सम्बन्ध में संसद् को स्वयं निर्णय करना चाहिये । विधि सम्बन्धी ज्ञान, विधि कार्य का अनुभव और ईमानदारी की अर्हताओं का अनुरोध करते हुए हमें वे अर्हताएं भी लगानी चाहियें जो दण्डाधीशों की नियुक्ति में लगाई जाती हैं । अवैतनिक दण्डाधीश सीधे उच्च न्यायालय के अधीन होने चाहियें ।

दण्ड न्यायशास्त्र में एक उक्ति है कि जब तक अन्यथा प्रमाणित न हो जाये तब तक पूर्व धारणा यह रहनी चाहिये कि अभियुक्त निर्दोष है । परन्तु माननीय गृह मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि किसी प्रकार की पूर्वधारणा नहीं होनी चाहिये ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) : यह मंत्री का शास्त्र है ।

डा० काटजू : इस में कोई हानि नहीं, यदि बिना किसी धारणा के आरम्भ किया जाये ।

मैं समझ नहीं रहा हूं कि वह किस बात पर बोल रहे हैं ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : मुझे माननीय गृह मंत्री से पूरी सहानुभूति है, इसी लिये मैं यह बात कहता हूं । उन्हों ने स्वयं कहा है कि ऐसा करने से हम अभियुक्त को एक लाभदायक विशेषाधिकार दे रहे हैं और यदि वह ईमानदार तथा निर्दोष हो तो वह इस को पसन्द करेगा । अभियुक्त को अपने आप साक्षी बनने और अपना प्रतिपरीक्षण कराने के समर्थ बनाने वाले उपबन्ध के सम्बन्ध में तर्क देते हुए उन्हों ने कहा कि एक न्यायालय का कृत्य यह है कि दोषी व्यक्ति को दण्ड दे और निर्दोष व्यक्ति को विमुक्त करे । किसी भी प्रकार की पूर्वधारणा नहीं होनी चाहिये और तथ्यों के आधार पर ही मुकदमे का परीक्षण किया जाना है । मेरा निवेदन है कि यह बात दण्ड न्यायशास्त्र के प्रामाणिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है । यदि माननीय मंत्री को विश्वास है कि यह धारणा ठीक है तो उन्हें यह उपबन्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता में सम्मिलित करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये था । मैं समझता हूं कि यह उन की निजी राय है ।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान धारा ४२६ की ओर भी दिलाना चाहता हूं । इस धारा में पहले ये शब्द थे : "उस व्यक्ति को छोड़ कर जिस पर ऐसे अपराध का अभियोग लगाया गया हो जिस के लिये ज़मानत न दी जा सके"; और अब इन के स्थान पर ये शब्द रखे जान का प्रस्ताव है : "ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया हो जिस के लिये ज़मानत न दी जा सके ।" यदि माननीय मंत्री की राय यह है कि ऐसे व्यक्ति को भी अपराधी ठहराने वाला न्यायालय छोड़ सकता है जिसे ज़मानत न दिये जा सकने वाले अपराध का दोषी ठहराया गया हो, तो उन को चाहिये था कि "किसी अपराध का दोषी ठहराया गया" ये शब्द रखते । नहीं तो, यदि इस धारा के संशोधन का अभिप्राय अपराधी ठहराने वाले न्यायालय को ऐसे व्यक्ति को छोड़ने का अधिकार देना है जो ज़मानत न दिये जा सकने वाले अपराध का दोषी ठहराया गया हो उस दशा में "को छोड़ कर" शब्द रखने आवश्यक हैं । मैं समझता हूं कि संशोधन इसी आशय से किया गया है ।

मुझे पूरा विश्वास है कि प्रवर समिति इन मामलों की पूरी जांच करेगी ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं इस विधेयक के लिये नियत किये गये समय के सम्बन्ध में एक छोटी सी घोषणा करना चाहता हूं । सदन को मालूम है कि कार्य मंत्रणा समिति ने इस के लिये १२ घंटे नियत किये हैं । यह अवधि कल ११.४५ पर समाप्त हो जायेगी । परन्तु बहुत से सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की है कि इस विधेयक के लिये अवधि बढ़ा दी जाये । इस का एक तरीका यह था कि मध्यान्ह के पश्चात् भी सभा की बैठक जारी रहे । परन्तु बहुत सारे सदस्य उस समय नहीं आना चाहते । फिर हम ने अपनी समयसूची को फिर से देखा और हमें मालूम हुआ है कि थोड़ा सा समायोजन हो सकता है । मैंने अध्यक्ष से परामर्श किया है और सरकार ने भी मान लिया है कि इस विधेयक के लिये और चार घंटे का समय नियत किया जाये । इस लिये अब विधेयक के लिये कुल अवधि १६ घंटे की होगी और १½ घंटा कल तथा १½ घंटा शुक्र को दिये जायेंगे और एक घंटा शनिवार के दिन । माननीय मंत्री शनिवार को उत्तर देंगे ।

सभापति महोदय : क्या इस प्रस्ताव को सदन स्वीकार करता है ।

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

सभापति महोदय : तो कार्यक्रम यही रहेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मेरा निवेदन है कि वक्ताओं के लिये समय सीमा निश्चित कर दी जानी चाहिये ताकि इस तरह कुछ समायोजन हो सके ।

सभापति महोदय : उपाध्यक्ष ने प्रातः यह बताया कि इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती । मैं केवल सदन से अपील कर सकता हूं कि प्रत्येक सदस्य औरों को समय देने का प्रयास करें ।

श्री एन० एस० जैन : मैं इस विधेयक पर बोलने के लिये बहुत संकोच से खड़ा होता हूं क्योंकि मुझे आशा थी कि डा० काटजू जैसे प्रमुख न्यायशास्त्री जो विधेयक प्रस्तुत करेंगे उस में न्यायपालिका, पुलिस तथा वकील, इन तीनों के सुधार के उपबन्ध होंगे । दंड न्याय पद्धति के यही तीन अंग हैं और मुझे आशा थी कि विधेयक का इन तीनों से सम्बन्ध होगा ।

१ म० प०

परन्तु जब मैं ने विधेयक देखा तो मुझे निराशा हुई कि इस में इन तीन में से किसी एक के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है । हुआ केवल इतना ही है कि अभियुक्त के ऊपर दुविधायें डाली गई हैं और वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उसे जो अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त थे वे उससे हर लिये गये हैं । इस विधेयक के कुछ अच्छे पहलू भी हैं, परन्तु इस द्वारा जो सख्तियां की गई हैं वह अत्यधिक हैं । डा० काटजू जैसे व्यक्ति को मैं कानून के बारे में कह ही क्या सकता हूं, परन्तु फिर भी मैं उन की यह गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि वह जिस रूप में इस विधेयक द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता का सुधार करना चाहते हैं उस से वह अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफल नहीं रहेंगे । उन का उद्देश्य है कि न्याय की व्यवस्था में देर न लगे तथा वास्तविक अपराधी बिना दंड पाये बच न सके । जहां तक इस दूसरी बात अर्थात् अपराधी के बच न सकने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इस बारे में डा० काटजू को संसद् सदस्यों पर विश्वास कर के उनको अपनी धारणा बतानी चाहिये थी क्योंकि हमारे हां जो परम्परा चली आ रही है डा० काटजू ने उस के विपरीत बात कही है । उन्हों ने अपने भाषण में कहा कि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष मानना जब तक कि उस को अपराधी न पाया जाये इस बात का कोई सवाल ही नहीं है । यह एक ऐसा मामला है जिस के बारे में अन्तिम निश्चय किया जाना चाहिये क्योंकि इसी पर सारी बात आधारित है । यदि डा० काटजू का यह आशय है कि जब किसी व्यक्ति पर पुलिस अभियोग लगाती है और अभियुक्त के रूप में उसे न्यायालय में लाती है तो न्यायाधीश की यह पूर्व धारणा नहीं होनी चाहिये कि वह व्यक्ति दोष सिद्ध होने तक निर्दोष ही समझा जाना चाहिये तो सारा दृष्टिकोण ही बदल जायेगा । प्रतीत होता है कि डा० काटजू की यह राय है कि यह पूर्वधारणा नहीं रहनी चाहिये । तो इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये । मैं समझता हूं और अनुभव करता हूं कि हमारे हां जो कूट-साक्ष्य न्यायालयों में चलता है और जो भ्रष्टाचार हर ओर फैला हुआ है उस के कारण प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान न्याय व्यवस्था से तंग आ चुका है । परन्तु इस का इलाज क्या है ? शान्तिपूर्ण ढंग से आपस में सोच विचार करने से ही इस का हल निकाला जा सकता है । मैं एक उदाहरण दे सकता हूं । यह केवल एक उदाहरण है क्योंकि सारी न्याय व्यवस्था प्रणाली के सुधार की बातों में पड़ने के लिये बहुत समय चाहिये । भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कई धारायें हैं जिन्हें विशेषाधिकार धारायें कहते हैं । बहुत सारे विवरणों

[श्री एन० एस० जैन]

के बारे में विशेषाधिकार प्राप्त हैं अर्थात्, पति अथवा पत्नी के नाम पत्र, वकील के नाम पत्र आदि। इसी प्रकार जब मैं एक अभियुक्त के वकील के नाते न्यायालय में होता हूं तो मुझे मन ही मन में यह पता होता है कि वह दोषी है। मैं वहां उसकी वकालत करता हूं क्योंकि उसने मुझे शुल्क दिया होता है और कुछ बातें बताई होती हैं। यदि आप ऐसी बातों को खत्म करना चाहते हैं तो कीजिए। परन्तु इस प्रकार इधर का उधर करने से कुछ नहीं होगा। मैं कुछ सच्ची बातें बता रहा हूं। यह सुनने में तो बुरी लगेंगी परन्तु हमारे देश में ऐसी बातें होती हैं। मान लीजिए मैं डा० काटजू से कहता हूं . . .

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : एक औचित्य का प्रश्न है। क्या माननीय सदस्य डा० काटजू का नाम लेकर उनका निर्देश कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : सांसदिक प्रक्रिया के अनुसार अच्छा यही है कि आप नाम अधिक बार न लिया जाये, परन्तु हम इस नियम का इतना कड़ा पालन नहीं करते हैं। अच्छा तो यही है कि हम ऐसा न करें।

श्री एन० एस० जैन : मैं ऐसा ही करूंगा। मैं सदन को यह बता रहा था कि यदि हम न्याय पद्धति का सुधार करना चाहते हैं तो हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिये। न्याय-पलिका न सही, पुलिस न सही, पहले वकीलों को लीजिए। हमें देखना चाहिये कि क्या हम कोई ऐसा तरीका निकाल सकते हैं जिससे वकील को भेजे गये पत्र आदि के सम्बन्ध में विशेषाधिकार प्राप्त न हों। मैं तो यह भी कहूंगा कि अभियुक्त के वकील को साक्ष्य प्रकोष्ठ में जाने पर मजबूर किया जा सकना चाहिये यदि दूसरा पक्ष ऐसी मांग करे। वकील साक्षियों को सिखाता है कि वे क्या कहें क्या न कहें परन्तु यदि उसको स्वयं शपथ लेकर यह बताना पड़े कि अभियुक्त ने उसको क्या बताया है तो वह झूठ नहीं कह सकता।

एक माननीय सदस्य : तो फिर वकील कौन रखेगा ?

श्री एन० एस० जैन : यही मैं भी कहता हूं इस तरह से इस वर्ग के वकील रहने ही न पायेंगे। इस प्रकार की कोई व्यवस्था करने से ही आप अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा आप केवल अभियुक्त की स्थिति और बुरी बनायेंगे।

डा० काटजू : क्या माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि मैजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होना चाहिये कि वह परीक्षण के दौरान में वकील से यह पूछे कि अभियुक्त ने अपने अपराध के बारे में उसको क्या कुछ कहा है ?

श्री एन० एस० जैन : जी हां, उसी समय न सही, परीक्षण के अन्त में। जब मैं कहता हूं कि हमें आमूल परिवर्तन करना चाहिये तो मेरा मतलब यह है कि हमें और रास्ते ढूंढने चाहियें ; वकील का तो मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। मैं जानता हूं कि हमारी जो धारणा है उसके दृष्टिगोचर ऐसे सुझावों पर विचार किया नहीं जायेगा।

अब मैं विधेयक के वास्तविक रूप पर चर्चा करता हूं। मेरी तो यही धारणा है कि जब तक किसी अभियुक्त का दोष सिद्ध न हो, तब तक वह निर्दोष है और उसको पूरा अवसर दिया जाना चाहिये तथा उसके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिये। इस विधेयक के निर्माताओं की यह पूर्व धारणा रही है कि जिस को भी पुलिस पकड़ कर लाती है वह व्यक्ति

दोषी है, यदि मैं यह बात सिद्ध करूं तो विधेयक के प्रस्तावक को या तो विधेयक वापस लेना चाहिये नहीं तो अपनी धारणा बदलनी चाहिये।

मैं फ़ौजदारी मुकदमों का तीन वर्गों में विभाजन करता हूं : समन वाले मुकदमे, वारंट वाले मुकदमे, सत्र के मुकदमे । दंड प्रक्रिया संहिता में इनके लिये तीन प्रकार के परीक्षणों का उपबन्ध है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे ।

इसके पश्चात् सभा बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

GIPD—HS—169 P. S. D.—11—11—54—285